बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

बुधवार, तिथि ८ फरवरी १९६१ ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि ८ फरवरी १९६१ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद ।

DEBATE ON THE GOVERNOR'S ADDRESS.

श्री भोलानाथ भगत--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

इस सभा के सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं ।

ब्रिटिश पार्लियामेंट के ट्रेडिशन के मुताबिक यह एक संसदीय परम्परा है कि अधिवेशन के शुरू में विधान मंडल में गवर्नर साहब का अभिभाषण होता है और उस पर वाद-विवाद भी होता है । इस अभिभाषण के प्रति हम अपनी कृतज्ञता क्यों प्रकट करते हैं यह हमको बतलाना है । राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ और राज्यपाल ने जो चीज हमलोगों के सामने रखी उससे स्पष्ट होगा कि उसमें सरकार की नीति इस साल के लिए क्या होगी तथा उसमें क्या खामियां तथा क्या-क्या खूबियां हैं । तो राज्यपाल के अभिभाषण में हमको सरकार की नीति का परिचय मिलता है । नीति वही है जिसके पीछे कोई उद्देश्य (aim) रहता है और उसकी सिद्धि के लिए, उसको हासिल करने के लिए एक रास्ता अपनाते हैं । मौजूदा कांग्रेस सरकार का उद्देश्य क्या है और उसको हासिल करने के लिए जो रास्ता सरकार अपना रही है वही इस अभिभाषण में दृष्टिगोचर होता है । इसको अध्ययन करने के बाद हमें यही मालूम होता है कि महामहिम राज्यपाल ने राज्य की सही वस्तुस्थिति का उल्लेख अपने अभिभाषण में दिया है ।

Wordsworth ने लिखा है:

"Type of the wise who soar but never roam
True to the kindered points of Heaven and Home."

जब हम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ते हैं और उस पर गौर करते हैं तो हम यही आदर्श उसमें पाते हैं । स्वर्ग (Heaven) का ख्याल भले ही कम हो,

आसमान का ख्याल भले ही कम हो, लेकिन जमीन की बात इसमें ज्यादा है। इस स्पीच की जो भाषा है वह साधारण लोगों की भाषा है, साधारण लोगों के बोलचाल की भाषा में यह स्पीच लिखी गयी है और सारी बातें कौमन लोगों की हैं। आप देखेंगे कि इस स्पीच का कागज भी साधारण ही है और जिस कागज में स्पीच छपी है वह भी मामूली कागज में ही छपी है। वह इसलिए है कि शायद गवर्नर साहब महसूस करते हैं कि यह युग साधारण लोगों का युग है, जनता का युग है और इसलिए जिस भाषा को सारे लोग समझ सकें उसी भाषा तथा शैली में यह लिखी गयी है।

अब हुजूर, जब हम कंटेक्स्ट पर आते हैं तो हम क्या पाते हैं। पहली बात जो उन्होंने कही है वह सारे देश के लिए, सारे राज्य के लिए है क्योंकि मुख्य मंत्री ने निधन से इस समय सारा विहार गम में डूबा हुआ है और सारे प्रान्त पर एक आफत आ गयी है और इसलिए इसका जिक्र पहले किया गया है। जब हम दूसरी बात पर आते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें सारे राज्य में इस साल कृषि का सुधार तथा खरीफ फसल की बात है। यह सर्वमान्य बात है कि बिहार राज्य में सारे देश के मुकाबले में कृषि की सबसे ज्यादा अहमियत है। यहां पर सैकड़े ८० फी सदी लोग खेती पर निर्भर हैं। यहां की अर्थ व्यवस्था भी कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए महामहिम राज्यपाल ने सबसे प्रथम कृषि का उल्लेख किया है। उन्होंने यही समझा है कि कृषि की उन्नति से ही विहार की उन्नति होगी और इसीलिए उन्होंने सबसे प्रथम इसका जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, जब आप १९५९-६० के बजट को पढ़ेंगे तो आप पायेंगे कि खरीफ की पैदावार अगले तीन सालों में २२ फी सदी ज्यादा हुई है। इस साल भी उसी तरह से खरीफ की फसल हुई है। यह सही है और आंकड़े से भी पता चलता है कि इस साल खरीफ की फसल अच्छी हुई है। इसके बाद उन्होंने एक बात का और उल्लेख किया है और वह यह है कि ग्राम पंचायतों तथा सहयोग समितियों के सदस्यों को कृषि की ट्रेनिंग दी गयी है। उनका कहना है कि गांव की उन्नति के लिए गांव के किसानों को काफी संख्या में यानी १० लाख लोगों को कृषि की साइन्टिफिक तथा टेकनिकल ट्रेनिंग दी गयी है। तो सरकार का क्या उद्देश्य है तथा सरकार की क्या नीति है उसका इसमें जक्र है। तो हम देख रहे हैं कि कृषि की उन्नति के लिए एक कृषि सेना खड़ी की जा रही है और आगे यह बढ़ती ही जायेगी। मुझे उम्मीद है कि कृषि की काफी उन्नति होगी। उसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत का ....

अध्यक्ष—माननीय सदस्य को जानना चाहिए कि उनको आधा घंटा से ज्यादा समय नहीं मिल सकता है और उनको आधा घंटा में ही अपनी स्पीच खत्म करनी चाहिए।

श्री भोलानाथ भगत—हुजूर, ग्राम पंचायतों के बारे में जिक्र करते हुए राज्यपाल महोदय ने कहा है कि:

"हमारा मकसद था १०,७६१ ग्राम पंचायतें कायम करना, जिनमें १०,५५५ अबतक कायम भी हो चुकी हैं। चालू वित्तीय वर्ष के बचे महीनों के भीतर, राज्य में बाकी २०६ ग्राम पंचायतें भी कायम कर लेने की कोशिश की जा रही है।"

इससे मालूम होता है कि सारे राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें तमाम जाल की तरह बिछ जायगी। इन ग्राम पंचायतों के साथ-साथ हम महसूस करते हैं कि गांवों के सार्वजनिक जीवन में परिवर्तन हो रहा है और पल्लेज-

ऑफ डेमोक्रेसी गाँवों में नजर आती है। गांव-गांव में डेमोक्रेसी या सेल्फ-गवर्नमेंट, स्वायत शासन की भावना जाग रही है और लोग ग्राम पंचायतों के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। और सबके सहयोग से, ऑफिशियल्स तथा नन-ऑफिशियल्स दोनों ही मिलकर तरक्की के रास्ते पर आ रहे हैं। सेकेन्ड और थर्ड फाइव-इयर प्लैन के बारे में रेफरेन्स दिया गया है। यह सबको मालूम है कि सेकेन्ड प्लान खत्म हो रहा है। इसमें १७४ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३३७ करोड़ रुपये खर्च करने के लिए मंजूर किये गये हैं। इसका आशय यह है कि दोनों ही योजनाएं—प्रथम और दूसरी योजनाएं ठीक दिशा में चल रही हैं और इसमें जो मकसद था उसके अनुसार तरक्की हो रही है। इससे यह साफ मालूम होता है कि हमारी योजनाएं सही रास्ते पर चल रही हैं। जैसे रेलगाड़ी चलाने के लिए पहले लाइन बनाई जाती है, सबसे पहले नदी-नालों को बांधा जाता है, मिट्टी दी जाती है, मिट्टी को जमने दिया जाता है, पत्थर दिया जाता है और तब उसके बाद रेलों की पटरियां बिछाई जाती है तब जाकर रेलगाड़ी चलती है। इसी तरीके से प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने जिस दिशा में हमें यात्रा करनी है उसे ठीक करके उसका रास्ता बनाकर पटरियां बिछा दी है और प्रगति की गाड़ी अब बढ़ने लगी है। हमें आशा है कि यह गाड़ी काफी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। अंग्रेजों के जमाने में विकास का क्रम धीमा था। पहले हमलोग बैलगाड़ी पर चला करते थे लेकिन अब रेल पर सफर करते हैं इसलिए योजना और भी आगे बढ़ेगी।

इसके बाद सी० डी० ब्लौक के बारे में कहा गया है कि जनता में इसके लिए काफी अहमियत दी जा रही है। और राज्यपाल ने इशारा किया है कि इसमें भी विकेन्द्रीकरण होगा और जो ब्लौक समितियां हैं वही देखभाल करेंगी और जिस दिशा में प्रगति करना चाहते हैं वह स्वयं करेंगी। ग्राम पंचायत और ऑफिशियल्स एक गाड़ी के दो पहिये के बराबर हैं। ऑफिशियल्स जो रहेंगे वे सहायक के रूप में रहेंगे। आशा है कि इसमें सी० डी० ब्लौक का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जायगा।

अब शिक्षा के बारे में जो प्रगति हुई है उसके बारे में अगर कुछ नहीं कहा जाय तो बात अधूरी रह जायगी। कम शब्दों में कहा गया है कि प्राईमरी, सेकन्डरी और युनिवर्सिटीज एडुकेशन में किस तरह तरक्की हो रही है। अभी ६ से ११ वर्षों तक लड़के और लड़कियों की संख्या ३२ लाख हो गई है और १,५०० रिकौगनाइज्ड हाई स्कूल्स हैं जिनमें २०० हायर सेकेन्डरी हो गये हैं जहां डाइवर्सिफायड सिलेबस से पढ़ाई हो रही है और काफी तरक्की हो रही है। हम गौरव महसूस करते हैं कि विश्वविद्यालय के क्षेत्रों में सन् १९६० साल अपनी अलग अहमियत रखता है। यह साल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा। इसी साल में जहां पर पहले केवल २ विश्वविद्यालय थे इनकी जगह पर आज हर डिवीजन में यानी ४ विश्वविद्यालय हो गये हैं और एक संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में हो गया है। इसमें भी कितनी तरक्की हुई है अगर पहले की हालत से मिलान किया जाय तो काफी गौरव की बात मालूम होती है। पहले जब हमलोग पढ़ते थे तो सारे बिहार और उड़ीसा में और नेपाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर मध्यप्रदेश के कुछ सेंटर्स लेकर एक पटना युनिवर्सिटी थी। अब उड़ीसा तो अलग ही है केवल बिहार में चार विश्वविद्यालय आज काम कर रहे हैं जो सीटस ऑफ लरनिंग हैं और आइन्दा और भी तरक्की होती जायगी। हमें पूरा भरोसा है कि शिक्षा के बारे में आइन्दा और ज्यादा तरक्की होगी।

इरिगेशन के बारे में कोई नई बात नहीं है। कोसी, गंडक और सोन वगैरह कई सालों से चल रहे हैं और प्रगति हो रही है।

एक बात और मैं कहकर बैठ जाना चाहता हूं। वह है इंडस्ट्रीज के बारे में। किसी देश का विकास या तरक्की सिर्फ कृषि की तरक्की से नहीं हो सकती। कृषि के साथ-साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जरूरी है तभी देश धनी तथा प्रगतिशील होता है। देश की तरक्की का मापदंड दरअसल यही है कि कितना लोहा पैदा होता है, कितनी बिजली पैदा होती है और कितना अनाज पैदा होता है। राज्यपाल महोदय ने जहां कृषि की अहमियत रखी वहां उन्होंने इंडस्ट्रीज के बारे में भी काफी जिक्र किया है और इस क्षेत्र में भी हम काफी तरक्की कर रहे हैं। भारत सरकार हटिया में हेवी मशीनरी प्लान्ट स्थापित करने जा रही है और इसके अलावे १५ करोड़ की लागत से हेवी मशीनरी टूल फैक्ट्री खोलने का फैसला हुआ है। हाई टेन्शन इन्सुलेटर फैक्ट्री रांची में, बोकारो में स्टील प्लान्ट अलग हो रहा है। साथ-साथ टिस्को और टेल्को का भी प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। इस तरह से लोहा और बिजली के उत्पादन के लिए सरकार काफी सचेष्ट है। रांची, बोकारो और जमशेदपुर के अलावे बरौनी भी एक औद्योगिक केन्द्र बनता जा रहा है। इस तरह से जैसे हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है वैसे ही औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और यहां पर बहुत ही कीमती खनिज पदार्थ हैं। इसका जब उचित रूप से विकास होगा तो हमारा देश समृद्धिशाली हो जायगा। इस तरह सरकार की जो नीति है और गवर्नर साहब का जो भाषण है इससे स्पष्ट मालूम होता है कि कृषि और उद्योग, दोनों ही को प्रोत्साहन देकर राज्य में और सारे देश में हम तरक्की करना चाहते हैं और वास्तव में तरक्की हो रही है। हम आशा करते हैं और गवर्नर साहब भी आशा रखते हैं कि इसमें आइन्दा और तरक्की होगी और हमारा जो मकसद है उसे हम हासिल कर सकेंगे।

अध्यक्ष—श्री गंगानाथ मिश्र ने एक संशोधन दिया है। उनका कहना है कि हमने बक्स में रख दिया था। आपको मालूम है कि बक्स में संशोधन इत्यादि रखे जाते हैं लेकिन इसके लिए खास नियम है।

मैंने घोषणा कर दी है कि संशोधन ३ बजे तक देना होगा तो इसका माने होता है कि चाहे हमारे हाथ में या हमारे अफसरों के हाथ में दिया जाय। बक्स में रखने से समय निश्चित नहीं होता है इसलिए मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपको बोलना हो तो आप खड़े होंगे, मैं उस समय उचित समझूंगा तो समय दूंगा। बक्स में साधारण चीजें रखी जाती हैं, यह एक्सेप्शनल केस है। जब मैंने कहा कि ३ बजे तक ही समय है तो बक्स में नहीं डालना चाहिए था। मैं आगे की जानकारी के लिए भी घोषणा कर रहा हूं। आप बैठ जायं।

श्री राम यतन सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपके सामने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो कृतज्ञता-ज्ञापन का प्रस्ताव उपस्थित हुआ है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। किसी प्रस्ताव के समर्थन या विरोध करने का कारण होता है। समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे सामने जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है वह अभिभाषण विद्वतापूर्ण है, साधारण भाषा में है और देखने से पता चलता है कि यह अभिभाषण करीब-करीब सर्वांगपूर्ण है। यों तो सर्वांगपूर्ण होना बड़ा ही कठिन है, असंभव है, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी जो कार्य किए जाते हैं उसमें किसी तरह की त्रुटि न रहे, कोई छिद्र नहीं रहे यह असम्भव-सा है लेकिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो होता है बराबर उसमें मैं देखता हूं कि आगे आनेवाले समय के लिए एक चित्र रहता है। जब इतना सुन्दर चित्र रहता है तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि जो

अभिभाषण करनेवाले हैं, जो इतना सुन्दर चित्र रखनेवाले हैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। मैं देख रहा हूं कि इस अभिभाषण में तमाम की चीजें छुई गई हैं। हमारा जो आनेवाला वर्ष है उसमें अगर सही ढंग से काम किया गया तो यह वर्ष बड़ा ही सुन्दर होगा। प्रस्तावक महोदय ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है।

हमारे प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि हमारा प्रदेश कृषि-प्रधान प्रदेश है। अगर खेती की उपज अच्छी न हो तो मैं नहीं समझता कि इस प्रदेश की सरकार और जनता का काम अच्छी तरह चल सकता है। उन्होंने खेती के संबंध में भी प्रकाश डाला है। हमारी सरकार चाहती है कि पंचायत का जाल सब जगह बिछे और पंचायत के द्वारा ही जनतंत्र सफल हो। ग्राम पंचायत के संबंध में भी जो चित्र सामने रखा गया है वह बड़ा ही सुन्दर है और सराहनीय है।

शिक्षा के संबंध में, सोन और गंडक प्रोजेक्ट के संबंध में, बिजली के संबंध में, उद्योग के संबंध में और अन्य चीजों के संबंध में राज्यपाल महोदय ने चित्र रखा है। उद्योग को इसलिए ज्यादा तरजीह देनी चाहिए कि खेती अच्छी हो तो खुशहाली होगी लेकिन साथ-ही-साथ हिन्दुस्तान में या किसी भी देश में, उस हिन्दुस्तान में जहां इतनी घनी आबादी हो, इतने ज्यादा लोग रहते हों, वहां केवल खेती से ही आर्थिक मामले में उन्नति नहीं हो सकती है, हम स्वावलम्बी नहीं हो सकते हैं, प्रदेश को आय नहीं बढ़ा सकते हैं इसलिये उद्योग के संबंध में भी जो चित्र रखा गया है वह बुरा नहीं है। बड़े-बड़े उद्योग, छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग, सब के संबंध में प्रकाश डाला गया है और चित्र रखा गया है। जिस तरह राज्यपाल महोदय ने इन सब चीजों का चित्र रखा है अगर सचमुच मंत्रिमंडल के सदस्य उसी तरह जाल बिछाने का प्रयत्न करें तो हमारा आगे का साल बढ़िया से बढ़िया हो सकता है।

राज्यपाल महोदय ने किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज की शिक्षा तक के संबंध में उन्होंने प्रकाश डाला है। बिजली के संबंध में और अन्य दूसरी आवश्यक चीजों के संबंध में भी जोर दिया है। सब चीजों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। स्टेट की भलाई तभी हो सकती है जब तमाम अंगों पर प्रकाश डाला जाय। अगर सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान न देकर किसी एक अंग के विकास पर जोर दें, विकास करने की कोशिश करें, दूसरी चीज को छोड़ दें तो मैं नहीं समझता कि उससे प्रदेश आगे बढ़ सकता है।

राज्यपाल के अभिभाषण में सभी विषयों पर भलीभांति प्रकाश डाला गया है इसलिये मैं राज्यपाल के अभिभाषण का हृदय से समर्थन करता हूं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस प्रांत का जो चित्र खींचा है उसके लिये अथवा यों कहा जाय कि जो हमारी परम्परा रही है उसके अनुसार हम सबों को राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता का प्रस्ताव पास करना चाहिये। उनके अभिभाषण में सार है, तत्व है और अगर इस प्रांत के मंत्रिमंडल के सदस्यगण और सदन के सभी सदस्यगण उनके खींचे हुए चित्र पर चलने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि बिहार काफी आगे बढ़ जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं किन्तु मैं इतना कह देना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के सदस्यगण हों सभी को सूक्ष्म दृष्टि से उनके अभिभाषण पर विचार करना चाहिये क्योंकि इसी में बिहार की भलाई है। यद्यपि राज्यपाल का अभिभाषण अपने आप में सर्वांगपूर्ण है फिर भी यह कहना उचित मालूम नहीं देता है कारण कि कोई भी चीज सर्वांगपूर्ण नहीं कही जा सकती है। लेकिन चारो तरफ से दृष्टिपात करने पर यह जरूर मालूम पड़ता है कि बेहतरीन है।

अब मैं आशा करता हूं कि हमारे राज्यपाल महोदय ने हमारे राज्य के लिये जो नया चित्र खींचा है और सफलता का जो लक्ष्य रखा है उसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण एवं इस पक्ष के तथा उस पक्ष के सभी सदस्यगण चलने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बैठ जाता हूं।

*श्री एस० के० बागे—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायं :—

"परन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नांकित समस्याओं के हल करने की योजना का उल्लेख नहीं है :—

(१) छोटानागपुर और संथाल परगना के औद्योगिक क्षेत्र में छोटानागपुर व संथाल-परगना टेनेंसी ऐक्टों और भारतीय संविधान में सन्निहित विशेष धाराओं के बावजूद बहुत बड़े पैमाने में आदिवासियों के हाथों से जमीन का हस्तान्तरण तथा इसके फलस्वरूप हजारों की संख्या में हर साल आदिवासी किसानों का बेजमीन, अस्थायी मजदूरों में बदलते जाना।

(२) वन विभाग की नीति में ऐसे बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता जिसमें स्थानीय जनता की परम्परागत हकों, खेती तथा वन से सम्बन्धित गृह उद्योगों का विकास हो सके।

(३) सरकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थाओं की नौकरी में स्थानीय जनता की घोर उपेक्षा तथा शिक्षित और अशिक्षित बेकार मजदूरों की बेकारी की समस्या के हल की एक सुनिश्चित योजना।

(४) राज्य-संचालन में फैले हुए व्यापक भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची के रोकथाम की एक सुनिश्चित दृढ़ योजना तथा निम्नवर्गीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी।

(५) झारखंड प्रांत का निर्माण।"

*श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायं :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं है :—

(१) राज्य में बढ़ती हुई बेकारी;

(२) राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार;

(३) राज्य के पुराने तथा नये उद्योगों में अधिक-से-अधिक बिहारियों को काम मिले इसके प्रति सरकार की उदासीनता;

(४) राज्य में आर्थिक विषमता कम करने की नीति तथा सरकारी नौकरों के वेतन पर पुनर्विचार करने के लिये द्वितीय वेतन आयोग का उल्लेख;

(५) भूमि-सीमा निर्धारण में शीघ्रता करने की नीति;

(६) दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास में अनुत्साहपूर्ण एवं शिथिल प्रगति;

(७) शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अराजकता ;

(८) केन्द्रीय कर्मचारियों की विगत हड़ताल में सरकार की दमन नीति एवं ठोस तथा प्रगतिशील श्रम नीति का अभाव ;

(९) औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य में असंतुलन ;

(१०) राष्ट्रीय एकता (नेशनल इन्टेग्रेशन) के महत्वपूर्ण प्रश्न ;

(११) सरकार की सहकारिता संबंधी कायरतापूर्ण नीति ;

(१२) सरकार के अनावश्यक व्यय की कटौती ;

(१३) उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाने की घोषणा ;

(१४) राज्य की नगरपालिकाओं तथा जिला पषदों आदि में सुपरीक्षित लोकतांत्रिक यंत्रों का ह्रास ;

(१५) भूमि सर्वेक्षण में निश्चित नीति का अभाव ;

(१६) ग्राम पंचायतों में आय-व्यय सम्बन्धी जांच व्यवस्था (औडिट सिस्टम) का अभाव ; तथा

(१७) चीनी मिल मालिकों द्वारा ईख के मूल्य की चुकती में अनावश्यक विलम्ब ।'

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन्यवाद के

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायं :—

"but regret that there is no mention in the Address of :

(1) establishing rent-free peasant proprietorship in the State;

(2) the growing unemployment in the State in spite of the five-year plans ;

(3) corruption, red-tapism, inefficiency, nepotism and partiality in the administration ;

(4) integrated industrial plan to develop the socially, educationally, economically backward region of Chotanagpur and other parts of the State ;

(5) any concrete scheme for decentralisation of power ;

(6) connecting the district headquarters by rail-road where there is none ;

(7) free and compulsory education up to the middle standard ;

(8) low purchasing power of the masses specially in the industria areas ;

(9) providing legal status to a large number of contractors working in the mines raising contractors ;

(10) any proposal for introducing prohibition in the State ; and

(11) dissatisfaction prevailing among the people due to ill-conceived policy regarding the management of forests and consequent mismanagement."

*श्री कार्यानन्द शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायं :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं है :--

(१) प्रशासन में व्यापक बढ़ते भ्रष्टाचार और अदक्षता ;

(२) राजकीय व्यापार की असफलता से बढ़ती हुई मंहगी ;

(३) प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा में अस्तव्यस्तता तथा गिरते स्तर ;

(४) शक्ति की राजनीति (power politics) के चलते पंचायत और सहयोग समितियों के निर्माण और संचालन में उत्पन्न भयंकर फूट तथा गड़बड़ियां ;

(५) औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य-माप के बढ़ते मजदूरों में फैलती बेचैनी ;

(६) खेत मजदूरों के निम्नतम मजदूरी को लागू कराने में सरकार की असमर्थता;

(७) बढ़ती बेकारी से उत्पन्न परिस्थिति ;

(८) अन्न उत्पादन के असंतोषजनक नतीजे के पीछे सरकार की मौजूदा कृषि-नीति, हदबंदी कानून बनाने में विलम्ब ;

(९) आदिवासियों के बेदखल जमीन को वापस दिलाने में सरकार की नाकामयाबी तथा आदिवासियों के बहुमत क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन देने में सरकार की उपेक्षा; तथा

(१०) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों खासकर तहसील पीउनों और ग्राम सेवकों की सेवा स्थिति और वेतन के सुधार में सरकार की उपेक्षा नीति ।"

*श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :—

(१) जनतांत्रिक और संविधान के निश्चित उद्देश्य को कुचलकर बिहार राज्य के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा नैयायिक अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

अध्यक्ष—आप "व्यवस्थापिका" और "नैयायिक" शब्दों को इसमें से हटा दें । आप इन सब के बारे में नहीं बोल सकते हैं ।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल—अच्छी बात है मैं इन्हें इसमें से हटा देता हूं ।

अध्यक्ष—"व्यवस्थापिका" और "नैयायिक" शब्दों को प्रस्ताव में से हटा दिया गया ।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल—(२) राज्य की जनता समाज विरोधी तत्वों से सुरक्षा नहीं पा रही है और प्रशासन यंत्र दिनानुदिन बिगड़ता चला आ रहा है ;

(३) गलत नीति पर आधारित पंचवर्षीय योजना के द्वारा विषमता की खाई पटने के बजाय चौड़ी ही होती जा रही है ।

*श्री इगनेस कुजूर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में न तो आदिवासियों के शैक्षिक तथा आर्थिक विकास के समुचित प्रबन्ध का और न उनके लिये किये जानेवाले कल्याण कार्यों का कोई संकेत है। साथ ही राज्य में राष्ट्रीय औद्योगिक योजनाओं के चालू करने के फलस्वरूप विस्थापितों के पुर्नवास की कोई भी चर्चा नहीं है।"

*श्री रामानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह का है जिसपर हम लोगों ने भी हस्ताक्षर किया है।

अध्यक्ष—बात ऐसी है कि ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह ने जो संशोधन दिया है उसमें किसी का दस्तखत नहीं है और एक दूसरा संशोधन जो दिया है उसमें दस्तखत सर्वश्री ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह, श्री रूपलाल राय, श्री व्रजनन्दन शर्मा, श्री देवेन्द्र झा श्री रामानन्द सिंह तथा श्री रामस्वरूप राम के। लेकिन इस समय ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह यहां नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप में जो किसी पार्टी के सदस्य हैं उनको बोलने का मौका तो मैं दूंगा लेकिन उनको संशोधन पेश करने का अवसर नहीं देना चाहता हूं। एक श्री इगनेस कुजूर को स्वतंत्र सदस्य समझकर संशोधन पेश करने का मौका दिया गया है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं सभी संशोधनों को पेश करने का समय दे सकूं।

(अन्तराल।)

*ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायं :—

"but regret that in the Address there is no mention of the Bagmati River Scheme, which was under investigation for the last ten years and which was finally formulated about four years ago but the exclusion of which from the Third Five-Year Plan, as expressed in a Government estatement is causing immense panic amongst inhabitants of Bagmati areas of Muzaffarpur, Champaran, Darbhanga and Monghyr districts."

श्री एस० के० बागे—अध्यक्ष महोदय, इस साल हमारे गवर्नर महोदय ने बहुत दुखित हृदय के साथ अपना भाषण शुरू किया था। जिन भावनाओं को लेकर उनके भाषण का सबसे पहला पाराग्राफ शुरू किया गया था और प्रकट किया गया था उनके उन भावनाओं के साथ हमारी भी फीलिंग्स और सेंटीमेंट्स हैं। डा० श्रीकृष्ण सिंह का नाम अमर रहेगा बिहार के साथ। इसके बाद जब हम उनके भाषण को देखते हैं तो कोई भी ऐसी चीज उसमें नहीं है जिसकी खूबी का इसमें जिक्र न हो, सरकार के बहुत से विभाग हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है जैसे ग्राम पंचायत, लॉ एंड ऑर्डर, सेकेन्ड-प्लान, थर्ड प्लान, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, एडुकेशन, वगैरह। किन्तु समूचे भाषण को देखने से हमें मालूम होता है कि समूचे हिन्दुस्तान में नहीं तो कम-से-कम

बिहार में जैसा कि अंगरेजी में कहा गया है : That the State is progressing by leaps and bounds on the path of drosperity. यह नहीं है । यह बात सच हो सकती है कुछ लोगों के लिये लेकिन सब के लिये यह बात सही नहीं है। आज हम सोशलिज्म का नारा लगाते हैं लेकिन जो हजारपति हैं वे लाखपति बने हैं और जो लाखपति हैं वे करोड़पति हो रहे हैं। यह एक तरफ सीन सीनरी हो सकता है लेकिन दूसरी तरफ यह भी नजारा है कि जिनके पास पहले घर था आज वे घरबार हो गये हैं और पहले जिनके पास जमीन थी वे अब बेजमीन हो गये हैं । हमारे गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में कृषि का जिक्र किया है । इसलिये मैं भी उसका जिक्र कर देना चाहता हूं । कम-से-कम तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी यह चीज हो जानी चाहिये कि जो भूखे हैं उन्हें साल में नौ-दस महीना भी आधा पेट खाना मिल जाय । एग्रीकल्चर विभाग के प्रचार विभाग के आंकड़े को देखें तो पता लगेगा। प्लान पीरियड के पहले हमारे प्रांत में बहुत कम पटवन होती थी लेकिन उसके बाद ३६ हजार एकड़ में पटवन होती है और फर्स्ट प्लान के पूरा होते-होते एक लाख ६८ हजार एकड़ में पटवन होने लगी है और दूसरी योजना के पूरा होते-होते दो लाख पांच हजार एकड़ भूमि की पटवन होने लगेगी। लेकिन असलियत कुछ और ही है । इसी तरह से हम माइनर इरीगेशन को लें। इसका भी आंकड़ा है कि फर्स्ट प्लान पूरा होते-होते करीब १७ लाख ४१ हजार की पटवन होने लगती है और दूसरी योजना के पूरा होते-होते २६ लाख की पटवन होने लगती है। अगर यह बात सही होती तो जैसा मैंने पहले कहा है आज बहुत से लोगों को भूखे और नंगे नहीं रहना पड़ता ।

गवर्नर महोदय के समूचे भाषण को देखने से यह पता चलता है कि हमारा प्रांत इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है । मैं कहता हूं कि जब कोई देश या राज्य इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ओर बढ़ता है तो उसकी एक दूसरी ही तस्वीर होती है जिसका जिक्र हमारे सामने नहीं है । उस तस्वीर को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कहीं भी जब धीरे-धीरे इंडस्ट्रीज बढ़ते हैं तो वहां जमीन का सवाल आता है । गवर्नर साहब के हर साल के स्पीच में कुछ नये-नये कल-कारखानों का जिक्र रहता है । आज से छः सात वर्ष पहले डैम की बात सुनते थे कि कहीं डी० वी० सी० बन रहा है तो कहीं मैथन तो कहीं पंचेत आदि । अब इधर धीरे-धीरे यह सुनने लगे हैं कि मिनरल एक्सप्लोआयटेशन होगा साथ-ही धीरे-धीरे कल-कारखानों का भी निर्माण होगा या अब यह भी सुनने लगे हैं कि बरौनी में ऑयल रिफाइनरी होगा तो रांची में हेवी इंजीनियरिंग प्लान्ट होगा और रांची में ही फोर्ज फाउन्डरी फैक्टरी खुलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी तय किया है कि वहां एक टूल्स फैक्टरी भी खोली जायगी । दस वर्षों से इंडस्ट्रीज के बढ़ाने के जो प्रौसेस हैं उसमें एक सेक्शन है समाज का जिसपर इसका ज्यादा से ज्यादा असर पड़ रहा है उसीकी ओर मैं मंत्री महोदय को इशारा करना चाहता हूं । गवर्नर महोदय के भाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है । हमारे राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है मगर वे खेती अपने से नहीं करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन वे खेती से ही काम चलाते हैं । यही लोग टिलर्स ऑफ दी सोआएल है । आजकल ये लोग भूमिहीन मजदूर हो गए हैं । जिनके पास कम जमीन है वे अब धीरे-धीरे खिसकते जा रहे हैं यानी बेजमीन के होते जा रहे हैं । बिहार राज्य में दो तरह की जमीन है एक गैंजेटिक वैली की जमीन और दूसरी पहाड़ी इलाके की जमीन । गैंजेटिक वैली के कम जमीन वाले तो अब करीब-करीब लैंडलेस हो चुके हैं और उनके पास अब वह

शक्ति भी नहीं है जिससे वे अपनी जमीन को वापस ले सकें। लेकिन पहाड़ी इलाके में इंडस्ट्रीज के चलते लोग बेजमीन के होते जा रहे हैं। वे दलित समाज हैं वे अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सकते हैं। पहाड़ी इलाके के लोग बड़ी मिहनत के बाद अपनी जमीन को खेती के लायक बना पाते हैं और उसको भी सरकार अब इंडस्ट्रीज के लिये लेती जा रही है।

१९वीं शताब्दी के मध्य से जिस जमीन को आदिवासियों ने सुन्दर बनाया था वह बनियों या महाजनों के हाथ उठती जा रही है। अच्छी से अच्छी जमीन, बकास्त या मंझियासी जमीन, धीरे-धीरे उनके हाथ से ट्रांसफर होती जा रही है। सर्वे सेट्लमेंट्स को रेकर्ड्स को अगर देखा जाय जिसका मैंने जिक्र सबसे पहले अपने संशोधन में किया है तो इसका पता चलेगा कि बढ़िया से बढ़िया जमीन आज सौ वर्षों से आदिवासियों के हाथ से खिसकती जा रही है। १९३१ साल के रिवीजनल सेट्लमेंट के बाद आज जो फिर रिवीजनल सेट्लमेंट होने जा रहा है सिंहभूम और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में उसके रेकर्ड को देखने से पता चलेगा कि जो जमीन उनके हाथ में बची रही वह भी उठती जा रही है। १९५० से १९६० के अन्दर इसके उठने की रफ्तार और बढ़ चली है। दिन-दूना रात-चौगुना जैसा कहते हैं हिन्दुस्तान में "कंसोलिडेशन ऑफ लैंड सीलिंग" आप करने जा रहे हैं लेकिन आदिवासियों के हाथ से जमीन तो उठती जा रही है। १९५२-५३ साल में खासकर संथाल परगना और धनबाद जिलों में हजारों संथाल बेघर हो गये हैं। आज की केयर-टेकर गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैथन, पंचेत, कोनार, तिलैया इत्यादि में जो डैम बने तो हजारों संथाल लैंडलेस लेबरर होकर बंगाल में नहीं चले गए? जिसके पास बीस एकड़ जमीन थी उसको मुश्किल से दस डिसमल जमीन दी गयी बसने के लिये। हमारे प्रांत में जो एग्रि-कल्चरिस्ट हैं, जो बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जो नौकरी में फिट-इन नहीं कर सकते हैं उनके लिये इंटेंसिव कल्टिवेशन करने का इन्तजाम होना चाहिये। उनको अगर बसाया भी गया तो इस तरह जैसे मछली को पानी से हटा दिया जाय और वह पानी के बिना तड़प-तड़प कर मर जाय। आज हजारीबाग या पलामू जिला को ले लिया जाय डाल्टेनगंज से बरवाडीह तक रेल लाइन के इर्द-गिर्द चार मील तक, भुरकूंडा, चिरकुंडा, बेरमो, बोकारो, चन्द्रपूरा तक चले जाइये, उसके बाद झरिया, कतरास यानी अदरा रानीगंज तक चले जाइये एक बेल्ट है जिसमें जंगल को साफ करके संथाल खेती के लिये बनाता है। वह जिस जमीन को जोतता है उसीके नीचे कोयला निकल जाता है। हमको एक कहानी याद आ रही है। एक लालची ब्राह्मण था। वह भगवान के पास गया और उन्होंने कहा कि वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा कि हम चीज को छुएं वही सोना बन जाय। आज बदकिस्मती से जिस जमीन को आदिवासी छूता है वहीं वह या तो कोयला बन जाती है या लाइमस्टोन बन जाती है। सिंहभूम जिला में अगर आदिवासी जमीन छूता है तो वह व्हाइ-टक्ले बन जाती है। इसीलिये इतिहास लिखनेवाले और ज्योग्राफर कहते हैं कि समूचे देश में richest part of the country is occupied by the poorest people.

मैं रांची का एक उदाहरण आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज वहां कारखाना बनने जा रहा है लेकिन हटिया, बोकारो, जमशेदपुर में जो कारखाना बने या पहले से थे उसमें सरकार की जो नीति है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि जिन लोगों की जमीन ली जाती है उसमें यह ख्याल नहीं रहता है कि किसकी जमीन लेनी चाहिये और किसकी नहीं लेनी चाहिये। सरकार के पास जमीन रहते हुए, गैर-मजरूआ जमीन, उसको छोड़कर इंडस्ट्री के नाम पर गरीबों की जमीन ले ली जाती है। मैं मानता हूं कि हटिया में आपने कारखाना बनाया। इसमें मुझको कोई एतराज नहीं

है लेकिन रांची मेडिकल कॉलेज बनाने के लिये आप एक पार्टिकुलर विलेज में गए जहां एक पार्टिकुलर अफसर इन्टरेस्टेड हैं और जिनकी जमीन वहां है उसको नहीं लिया गया लेकिन जो गरीब हैं उनकी जमीन ले ली गयी। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर डाक्टर बी० सी० राय की वहां सैकड़ों बीघा जमीन पड़ी हुयी है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि मेडिकल कॉलेज के लिये लें या उनपर हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्टरी बनावे। आज जमीन दो तरह से एक्वायर हो रही है। एक पब्लिक सेक्टर के लिये और दूसरी प्राइवेट सेक्टर के लिये में। पब्लिक सेक्टर के लिये जो जमीन एक्वायर हो रही है उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। कारखाना बने लेकिन अनबैलेंस्ड एकौनौमी नहीं होनी चाहिये। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज जमशेदपुर में डेढ़ लाख आदमी बसते हैं; और-और भी कारखाने हैं जहां चार-पांच लाख आदमी बसते हैं और इन आदमियों को खाने के लिये बर्मा से चावल और दूसरे देशों से गेहूं मंगा सकते हैं लेकिन जो रोज की जरूरत की चीजें हैं, जैसे पोल्टरी इत्यादि तो वहीं से खरीदते हैं। इसलिये हम यह सुझाव देंगे कि जिनको डिसप्लेस किया जाय उनको गवर्नमेंट गैर-मजरुआ जमीन दें। जैसे जो बीस एकड़ वाले हैं उनको एक एकड़ दें ताकि वे ऐग्रिकल्चरिस्ट होने के नाते एक्सटेंसिव कल्टिवेशन के बदले इंटेसिव कल्टिवेशन करें और उसमें सब्जी वगैरह पैदा करें जिससे उनका गुजारा हो। प्राइवेट सेक्टर के लिये जो जमीन एक्वायर होती है उसमें गवर्नमेंट की नीति अजब तरीके की है। एक प्राइवेट इन्डिविजुअल के लिये दस एकड़ जमीन पहले जानबूझकर ले ली जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि और जमीन लगेगी। तो बगल की जमीन पूंजीपति की रहती है उसको नहीं ली जाती है। लेकिन जो गरीब है उसकी जमीन ले ली जाती है। रांची में जो सबसे धनी आदमी है, जो डिस्टोलरी और फैक्टरी का मालिक है आज गरीबों की जमीन छीनकर उसको लाखपति से करोड़पति बनाया जा रहा है। दफा ४६ के रहते हुए कारखाना के नाम पर जमीन ले ली जाती है। एक डिप्टी कमिश्नर को छोड़कर जितने सरकार के बड़े अफसर हैं, मैं पब्लिक मेन को नहीं कहता, उन्होंने वहां जमीन खरीदी है, जैसे मिस्टर राव हैं, मिस्टर शाही हैं, मिस्टर बक्शी हैं उन्होंने जमीन ली है यहां तक कि बी० डी० ओ० ने भी ली है।

कुछ बड़े-बड़े अफसर्स ने आदिवासियों से १०० रुपये बीघा जमीन ली और वे ही उसे ५०० रु० में बेच रहे हैं। बहुत से बाहर के बिजिनेसमैन कारखाना के नाम पर जमीन ले रहे हैं। दिल्ली के मिनिस्टर्स भी १५ या २० बीघा जमीन खरीद चुके हैं। भुयारी जमीन को भी गवर्नमेंट के लोग जो अपने को प्रोटेक्टर कहते हैं अपने नाम में ट्रांसफर करा रहे हैं। सिंहभूम और रांची की खुटकट्टी जमीन जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती है उसका फौरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिमारकेशन करवाया गया है। सारांश यह है कि आदिवासियों की जमीन इस तरह से ले ली जा रही है।

१९५६ साल से जो जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिये एक्वायर की गयी है उसका आजतक कंपेंसेशन नहीं दिया गया है। पी० डब्लू० डी० सड़क के लिये जो जमीन एक्वायर की गयी थी और वहां रोड भी बन गयी है लेकिन आजतक उसका कंपेंसेशन नहीं दिया गया है। रांची सिंहभूमि को कनेक्ट करने वाली सड़क, इंसुलेटर फैक्ट्री और हेवी इंडस्ट्री के लिये जो जमीन ली गयी है उसका कंपेंसेशन आजतक नहीं मिला है। उनकी जमीन के लिये जो अवार्ड दिया गया है उसके अन्दर क्या होता है कि एक आदमी को ११ हजार रु० एकड़ मिलता है

तो दूसरे को ४,००० रु० एकड़। जो उसके कन्टिगुअस है उसका २,००० रु० और कैम्प फौलोअर को १,००० रु० कंपेंसेशन मिलता है। हटिया क कन्टिगुअस बहुत-सी जमीन है। वहां पंडितजी और पासवान साहेब गये थे। उनको जमीन दिखलायी गयी है। जुडिशियल प्रेसीडिंग्स की कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है कि पूंजीपतियों को ७,००० रु० मिला है और उसी के कन्टिगुअस जमीन के लिये ३३० रु० आदिवासियों को मिला। एक कोर्ट दुवारा जजमेंट नहीं दे सकती है लेकिन अवार्ड की खराबी के कारण फिर सप्लीमेंटरी देना पड़ा और अब ३३० रु० को बदल कर ६,००० रु० दिया गया है। गवर्नमेंट आॅफ इंडिया को कहा गया था कि फैक्ट्री बनाने के लिये मुफ्त जमीन देंगे लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कंपेंसेशन देना पड़ा है। इसके लिये जितना भी कंपेंसेशन देना पड़ा है सब हमारे स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ा है। इतना ही नहीं, वहां पर जमीन ४५ रुपये प्रति एकड़ की दर से ली गई लेकिन अब बसाने के लिये जो जमीन ली जा रही उसके लिये ४५० रुपया फी एकड़ कंपेंसेशन देना पड़ता है। अभी तो डिप्टी कमिश्नर ने लिखा है कि अब तो १,५०० रु० फी एकड़ भी देना पड़ेगा। अब कंपेंसेशन बढ़ाने के लिये सभी आदमी कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकता है। गरीब आदमी के पास इसके लिये पैसा कहां है। जबतक वह लड़ेगा उसकी जमीन चली जायेगी और फिर उसके पास रुपया कहां से आयेगा कि वह मुकदमा लड़े। आप इंडस्ट्रीज के लिये वहां जो जमीन लेते हैं, कारखाना खोलने के लिये जो जमीन एक्वायर करते हैं या रेलवे लाइन खोलने के लिये या रोड निकालने के लिये जमीन एक्वायर करते हैं, जिनकी जमीन को एक्वायर करते हैं उनको बसाने का सबसे पहले इंतजाम करना चाहिये और तब उनकी जमीन को एक्वायर करना चाहिये। ऐसा नहीं होने से जिनकी जमीन चली जाती है उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि पहले वहां के आदिवासी लोग खेती लायक जमीन बना लेते थे और तब तीन-चार फसल काटने के बाद जमींदार को खबर देते थे और तब उस जमीन के लिये लगान ठीक होता था। लेकिन आज क्या होता है ? जब जमीन की बंदोबस्ती करने के लिये सर्किल अफसर के पास दरखास्त दी जाती है तो वह लिखता है कि " C.O. toreport "। अब वह कर्मचारी दायां का बायां और वायां का दायां लिखता है और वह जो कुछ लिख देता है उसीको सभी लोग नीचे से ऊपर के अफसर डिट्टो करते चले जाते हैं और आगे चलकर बाइबिल बन जाता है और उसे कोई सुधार नहीं सकता है। अब सिविल कोर्ट जाइये तो उसमें बहुत ही ज्यादा वक्त और खर्च लगता है। इसी तरह से जंगल विभाग की जमीन की बंदोबस्ती के बारे में होता है। अभी इसके चलते आदिवासी लोगों की जमीन गैर-आदिवासी लोगों के हाथ में चली जा रही है। आज आप शाहाबाद जिला के रोहतास के नजदीक अधौरा में चले जाइये तो वहां पर आपको " No man's land " देखने के लिये मिलेगा। आदिवासी लोगों की जमीन और उपज महाजन लोगों के चंगुल में चली गयी है या चली जा रही है। इसलिये संविधान में जो गवर्नर साहेब को शिडियूल्ड एरिया में किसी कानून को लागू करने या न लागू करने का जो पावर है, वहां पर एक खास कानून या रेगुलेशन पास करके लागू करना चाहिये जिसमें आदिवासी लोगों की जमीन दूसरे लोगों के हाथ में न चली जाय। अब वहां पर संताल परगना और

छोटानागपुर टेनन्सी ऐक्ट से काम नहीं चल रहा है। इसलिये गवर्नर साहब के हाथ में इसके लिये पावर रहना चाहिये कि जब वे चाहें तो बिहार टेनन्सी और छोटानागपुर टेनन्सी ऐक्ट्स को रोक कर छोटानागपुर में, मुंगेर जिले के कुछ हिस्से, भागलपुर जिले के कुछ हिस्से, पूर्णिया जिले के कुछ हिस्से, भागलपुर जिले के कुछ हिस्सों में भी संताल परगना और छोटानागपुर टेनन्सी ऐक्ट को लागू किया जाय। आज लिमिटेशन कानून और एडवर्स पजेशन के कानून को लेकर बहुत गड़बड़ी हो रही है और आदिवासी लोगों के हाथ से जमीन निकलती जा रही है। अभी यह दिखला दिया जाता है कि दो वर्ष से जमीन जोतने पर भी उससे ज्यादे दिनों से जमीन जोती जा रही है और इस तरह से इन कानून के जरिये भी आदिवासी लोगों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आज आदिवासी लोग लैंडलेस लेबरर हो रहे हैं। इसका क्या नतीजा होगा उसे तो आप जमशेदपुर में देख ही चुके हैं। कांग्रेस समझती थी कि वह इंडस्ट्रियल एरिया है इससे उसका कंडीडेट वहां से जीत कर आवेगा और हम समझते थे कि वह आदिवासी एरिया है इसलिये हमारी पार्टी के लोग जीतेंगे लेकिन क्या हुआ इसे आप देख चुके हैं। इसलिये हमारा यह कहना है कि जबतक लैंडलेस लेबरर के प्रोब्लेम को आप सौल्व नहीं करते है तबतक वह एक बड़ी खतरनाक चीज हो रही है। इसलिये इसको सौल्व करने के लिये हम सरकार के सामने यह सुझाव देना चाहते हैं कि जिस तरह से टाना भगत लोगों की जमीन को रेस्टोर करने के लिये आपने एक ऐक्ट बनाया उसी तरह से आदिवासी लोगों की जमीन को वापस लौटाने के लिये एक ऐक्ट पास होना चाहिये जिसमें गैर-कानूनी तरीके से जो जमीन चली गयी है उनको आदिवासी लोगों को वापस कर दिया जाय।

इसके बाद आदिवासी लोगों को एम्प्लायमेंट देने का जहांतक सवाल है उसके बारे में यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जहां पर भी पब्लिक सेक्टर हैं या जिस कारखाना या कंपनी में सरकार का ज्यादा शेयर है उसमें नौकरी देने के मामले में उनको पहले प्रिफरेंस मिलना चाहिये। लेकिन आज तो हटिया खुला, बोकारो खुला लेकिन आदिवासी लोगों को एक भी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी है जिसमें ५०० रुपये से ऊपर तनख्वाह हो। इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि इसकी जांच करने के लिये एक कमीशन बैठायी जाय जो जांच करे कि किस-किस कारखाने और फैक्टरी में कितने आदिवासी काम कर रहे हैं और उनके लिये किस तरह से नौकरी सुरक्षित की जाय।

इसी तरह से शिक्षा की भी यही हालत है। कहा जाता है कि चार-चार युनिवर्सिटी खुल गये और अब तो शिक्षा में कमी न रहेगी। आज छः महीने हो गये लेकिन अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि रांची में युनिवर्सिटी ऑफिस कहां पर बने। कोई मिनिस्टर इधर चाहता है तो कोई मिनिस्टर उधर ऑफिस बनाना चाहता है और इस तरह से अभी तक साइट का भी सेलेक्शन नहीं हो सका है। इसके लिये जहां तक जल्द हो सके फैसला होना चाहिये। अभी तक वहां पर एक अच्छा होस्टल भी नहीं है। अब दूसरे सदस्य अपने-अपने विचार इस पर व्यक्त करेंगे और इसलिये अब इतना ही कह कर मैं खत्म करता हूँ।

श्री रामानन्द तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में स्वर्गीय श्रीबाबू के निधन पर जिन भावनाओं का उल्लेख किया गया है उससे मैं सहमत हूँ। मुझे दुख है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो वाद विवाद आज चल रहा है इस समय भी केवल दो मंत्री और एक उप-मंत्री उपस्थित हैं जबकि इस समय हर विभाग के सम्बन्ध में कहा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख इस बात का है कि इस राज्य में बेकारों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इस राज्य में लाखों लोग आज बेकार पड़े हुए हैं। लेकिन इसके सम्बन्ध में राज्यपाल के अभिभाषण में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है और प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त भी हो गयी, पर इस पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि इस राज्य में बेकारों की संख्या घटने के बदले बढ़ गयी है। इसका कारण क्या है, पर विचार करना है। राष्ट्रपिता ने कहा था—

"जबतक एक भी सशक्त आदमी ऐसा हो जिसे काम न मिलता हो या भोजन न मिलता हो, तबतक हमें आराम करने या भर पेट भोजन करने में शर्म महसूस होनी चाहिये"।

तो हम पाते हैं कि १३ वर्षों के बाद भी आज बेकारी में वृद्धि हो रही है। यह कहां तक उचित है, यह आपको देखना है। बिहार की जनता चार महीने बिल्कुल बेकार रहती है और उसे कोई काम-धंधा नहीं मिलता है। आज यहां के किसान अपने पेट को काटकर अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं फिर भी शिक्षा पाने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती है। सबसे दुख तो इस बात का है कि इस राज्य में इंडस्ट्रीज के विकास हो रहे हैं फिर भी लोगों को काम नहीं मिलता है। हम जब कैपिटल इंटेन्सिव एकोनौमी के बारे में विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि यह हमारे देश के लिये नहीं है, इसलिये नहीं कि हमारे यहां जनसंख्या काफी है और जमीन कम है। पाश्चात्य देशों में लोग कम हैं और जमीन अधिक है, पर यहां लोग अधिक हैं और जमीन कम है। हमारे यहां बेकारों की पलटन बढ़ती जा रही है पर हम उसको काम नहीं दे पाते हैं। तो हमारे यहां कैपिटल इंसेन्टिव एकोनौमी से काम नहीं चल सकता। पाश्चात्य देशों में उत्पादन की मशीनें इस तरह से बनती हैं कि कम-से-कम लोगों के द्वारा अधिक-से-अधिक उत्पादन हो। इसलिये वहां पर कैपिटल इंसेन्टिव एकोनौमी का प्रोग्राम रचा गया। हमारे यहां तो लेबर इंसेन्टिव एकोनौमी चाहिये और इसलिये चाहिए कि जिससे मशीन नहीं बैठावें और लोगों को अधिक-से-अधिक काम मिले। अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सारे हिन्दुस्तान के लिये यह टार्जेट था कि ८० लाख लोगों को काम दिया जायेगा लेकिन बहुत मुश्किल से ६० लाख लोगों को काम दिया गया है। इसी तरह से प्रथम पंचवर्षीय योजना में टार्जेट था कि १ करोड़ लोगों को काम दे पायेंगे, लेकिन जब हम उस पर विचार करते हैं तो पाते हैं एक करोड़ लोगों को काम नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, संसार के इतिहास पर जब हम नजर डालते हैं तो देखते हैं कि बेकारों और भूखों की जमायत और खूनी क्रांति में एक पतली लकीर का ही फर्क है। आज सारे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, पर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और इसके विषय में राज्यपाल के अभिभाषण में कोई भी संकेत नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आज राज्य में व्यापक रूप में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब हम इस पर नजर डालते हैं तो आश्चर्य मालूम होता है। सारे राज्य में आज भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। आज जनता को न्याय में विश्वास नहीं रह गया है। अंग्रेजी साम्राज्य में जिस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं था उस विभाग में भी आज भ्रष्टाचार प्रवेश कर गया है और लोग आज उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जब इसके बारे में सरकार से पूछा जाता है तो सरकार जवाब देती है कि समाज में ही दोष है। इनका यह भी कहना है कि जब समाज में आमूल परिवर्त्तन हो जायेगा तो आपसे आप यह समाप्त हो जायेगा। इनकी यह थ्योरी गलत है और गलत इसलिये है कि यह पाश्चात्य देश की थ्योरी है। बीसवीं सदी के महान् विचारक महात्मा गाँधी ने कहा कि व्यक्ति के बदलने से ही समाज भी बदलता है। तो आज कौन-सा मार्ग ग्रहण किया जाय जिसे भ्रष्टाचार में कमी हो। इसके सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया है, हमारा ऐसा मत है कि जो समाज के नेता हैं और लोकमान्य हैं तथा जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके आचरण से जनता प्रभावित होती है। आज जो जन-प्रतिनिधि हैं या बड़े-बड़े सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनके आचरण और आम जनता के आचरण में पतली लकीर का फर्क होना चाहिये परन्तु बहुत बड़ा फर्क है। जन-प्रतिनिधि, मंत्री, बड़े-बड़े शासक जो सरकार में बड़े-बड़े पदों पर हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिये इस पर विचार करना है। हमें ऐसा लगता है कि आज उनका जो आचरण हो रहा है उससे समाज के लोग गुमराह हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ गरीबी बढ़ रही है और दूसरी तरफ धनी और ज्यादा धनी होते जा रहे हैं। आज जब हम देहातों में आम जनता के बीच जाते हैं तो वे कहते हैं कि आपके मंत्री और विधायक के बीच जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैल गया है उसके बारे में सरकार ने कौन-सा कदम उठाया है। सरकार कहेगी कि उसने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कायम कर दिया है लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि वह प्रो-करप्शन डिपार्टमेंट है। दूसरी बात यह है कि जनता हम विधायकों और मंत्रियों पर संदेह करती है और उनकी नीति पर उंगलियां उठाती है, इससे हमको आश्चर्य मालूम होता है।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज बढ़ रही है लेकिन इसमें भी हमलोगों की किस तरह उपेक्षा की जाती है यह भी देखने की चीज है। हम यह नहीं कहते हैं कि आप दूसरों को न दें लेकिन जैसा कि हमारे दोस्त, बागे साहब ने कहा कि आपका यह कर्त्तव्य था कि स्थानीय लोगों को आप अवश्य जगह दें। आप देखते हैं कि दूसरे-दूसरे सूबों से बड़े-बड़े वेतन पाने वालों को लाकर इंडस्ट्रीज के सिलसिले में यहां रख दिया जाता है। आपके जो बड़े-बड़े ऑफिशियल्स हैं उनके आदमी टाटा, झरिया और सिंदरी में काम करते हैं लेकिन जो आम जनता है, जिन्होंने अपना पेट काट-काटकर अपने बच्चों को पढ़ाया है उनके बच्चों को उन जगहों में जगह नहीं मिल पाती। मैं चाहता हूं कि आप टाटा, सिंदरी आदि का फीगर मंगाकर देखें कि कितने लोगों को आपने नौकरी दी है। इसकी एक लिस्ट जिसमें उनलोगों का नाम और पता हो आप सदन में रखें। हटिया में कारखाना खुलने जा रहा है। वहां भी हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि किस तरह बिहार की उपेक्षा की जा रही है। ऐसा आप इसलिये करते हैं कि मंत्री के रिकमेंडेशन पर उनके भाइ-भतीजे रख लिए जाते हैं।

दूसरी चीज यह है कि आर्थिक विषमता आज इस राज्य में बुरी तरह फैल गई है। १३ वर्षों के बाद भी आज इस बीसवीं सदी में ११ वर्ष का लड़का घोड़े का काम करता है, रिक्शा चलाता है यह कितने दुख की बात है। आज से १० दिन पहले की बात है कि इसी पटना शहर में एक मिष्ठान्न की दूकान के सामने में खड़ा था। वहां एक व्यक्ति एक पत्तल पर पूड़ी, जलेबी और आलू की तरकारी खा रहा था। वहां पर एक कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया और एक आठ-नौ वर्ष का बच्चा लंगोटी पहने उस कुत्ते के बगल में आकर खड़ा हो गया। वह कुत्ता और बच्चा दोनों लालायित आंखों से टकटकी बांधे पत्तल की तरफ देख रहे थे। खाने के बाद जब उस महाशय ने जूठी पत्तल को फेंका जिसपर केवल आलू का छिलका रह गया था तो उसपर वह कुत्ता और मासूम बच्चा दोनों ही आलू के छिलके पर झपटे, कुत्ते और बच्चे में लड़ाई होने लगी और कुत्ते ने बच्चे का पैर पकड़ लिया, बच्चा धड़ाम से फूटपाथ पर गिर पड़ा। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में कुत्ता और मानव में केवल आलू के छिलके के लिये लड़ाई हो उस देश के बारे में आप. कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। १३ वर्षों के बाद आज भी देश में लोग गोबर का अनाज खा रहे हैं। आप जानते हैं कि दौनी में बैल चना और गेहूं खा लेता है वह जब पखाना करता है तो गोबर में गेहूं और चना फूला निकलता है जिसे निकालकर हरिजन ले जाते हैं और धोकर खाते हैं। जिस देश में ऐसा होता हो उस देश के मंत्री का रहन-सहन, अफसरों का रहन-सहन कुछ शोभा की बात नहीं मालूम होती। हम कहते हैं कि हमारे लिए लज्जा की बात है। हम कहते हैं कि जब आप आर्थिक विषमता को मिटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने कौन-सी कारंवाई की। आज चपरासी, क्लर्क और सिपाही वगैरह के लिए स्थान नहीं है, वे जाड़े में ठिठुरते हैं। आप ही देखें कि गरीब चपरासियों को गर्म कपड़ा तक नहीं मिला। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि न्यु सेक्रेटेरियट में, आर० ब्लॉक में चपरासी, क्लर्क और सिपाहियों को १२-१२ घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है लेकिन रहने के लिये निश्चित जगह नहीं है। आपने कौन-सा काम किया उनके लिए, मैं यह जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, तीन वर्ग के लोगों के यहां संपत्ति जा रही है, और हिन्दुस्तान में सैकड़े १०, १५ आदमी ऐसे हैं जिनके घरों में नेशनल इनकम जा रही है। चाय कंपनी के मालिक सिर्फ चार आदमी हैं। इस तरह जितने बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्हीं के यहां धन आप देखना चाहते हैं। अगर आप पाटलिपुत्र, सर्कुलर रोड, गार्डिनर रोड आदि जाकर देखें तो मालूम होगा कि इनके धन में कितनी वृद्धि हो रही है। केवल तीन ही वर्ग के लोग हैं जिनके यहां धन एकत्रित हो रहा है और दूसरे लोग बेकार हैं। हम गली-बागीचा और दिहातों के झोपड़ों में जाते हैं तो वे ही पिचके गाल, धंसी हुई आंखें पाते हैं लेकिन जब हम पटना में सर्कुलर रोड, गार्डिनर रोड, एम० एल० ए० फ्लैट की तरफ जाते हैं तो ऐसा मालूम होती है कि सचमुच देश बड़ा तरक्की कर रहा है। जितने बड़े-बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, ऑफिसर्स हैं जिनके परिवार के लोग सुन्दर-सुन्दर कपड़ा पहनकर क्रीम-पाउडर लगाकर सुगन्धित तेल लगाकर घूमते हैं और दूसरी ओर जब मैं बेचारे गरीबों को बिना कपड़ा के देखता हू तो मेरा दिल बैठ जाता है। तो मैं पूछता हूं कि आपने आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये कौन-सा काम किया ? आज हूंलट साहब की कोठी में राज्यपाल रहते हैं जिन्हें ५,५०० रु० वेतन दिया जाता है। क्या आपने इसमें कोई कमी की ? आखिर स्वराज्य

का मानी क्या है ? आपने ऐसा क्या किया जिससे जनता इस बात को समझे कि उसे स्वराज्य हासिल हुआ है और अपने देश में वह आजाद है और जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उससे इसे फायदा हो रहा है । यह तो आपने किया नहीं और थोड़े से लोगों के यहां धन एकत्रित होने दे रहे हैं । इसी सदन में वित्त विभाग के उप-मंत्री ने कहा था कि जो निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं उनके वेतन के बारे में विचार किया जायगा । नागपुर, बम्बई, सी० पी० और दूसरी-दूसरी जगहों में वेतन आयोग का निर्माण हुआ लेकिन आजतक आपने ऐसा नहीं किया । मैं आपसे पूछता हूं कि वेतन आयोग का निर्माण करने में कौन-सा संकट पड़ता है ? आप जानते हैं कि आपके कर्मचारियों की मांग है और सचिवालय के कर्मचारियों ने रिजोल्यूशन पास किया था कि १५ तारीख से भूख का बिल्ला पहनेंगे लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह अवैधानिक है । मैं पूछता हूं कि आप ऐसा मौका ही क्यों देते हैं । अध्यक्ष महोदय, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात आप करते हैं लेकिन आपके यहां गरीब चपरासी को ४५ रुपये डी० ए० के साथ मिलते हैं और २५ रुपये मासिक वेतन दिया जाता है । मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज २५ रुपया ५० रुपया और १०० रुपया पिउन, तहसीलदार या सिपाही और लोअर डिवीजन असिस्टेंट को मासिक वेतन देते हैं तो क्या इससे उनका काम चलता है ? एक तरफ आप बड़े-बड़े लोगों के वेतन में वृद्धि कर रहे हैं । लाखों रुपए स्पेशल पे पर खर्च कर रहे हैं । तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपका यही सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, वेलफेयर स्टेट है, यही सर्वोदय है जो बापू ने कहा था । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सिलसिले में आपने कौन-सा कदम उठाया है ? आपने कौन-सा विचार किया जिसमें इस सूबे में जो गरीबी और अमीरी के बीच इतनी बड़ी खाई है उसको कम-से-कम कर सकें, बेकारी को मिटा सकें ? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि यह चीज क्या हो रही है । इन सारी बातों पर हम विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि यह सरकार नहीं चाहती है कि आर्थिक विषमता में कमी हो ।

लैंड सीलिंग बिल सबसे पहले १९५७ में भूतपूर्व राजस्व मंत्री श्री कृष्ण बल्लभ सहाय ने लाया उसे खटाई में डाल दिया गया । नागपुर कांग्रेस के संकल्प को उस नागपुर के संकल्प को जिसमें आपने भूमि सम्बन्धी बातों पर विचार किया था उसे न जाने कहां ला भुदिया । आपने उसमें प्रतिज्ञा की थी कि १९५९ तक भूमि सीमा निर्धारण बिल पास कर देंगे, पर नहीं किया । ताता की जो जमींदारी ली गयी थी उसको लौटाने के लिए बिल पास कराया, ऐक्ट बनाया । हजारों बिल प्रतिदिन आते हैं लेकिन ८४ लाख भूमिहीन मजदूर जो हैं जिनके रहने के लिये जमीन नहीं है, उनके जानवरों को रखने के लिये जमीन नहीं है, आपने अबतक कोई बिल नहीं लाया । भूमि-सीमा निर्धारण बिल को सेलेक्ट कमिटी में भेजा लेकिन उस सम्बन्ध में इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है । और बिलों के बारे में उल्लेख किया गया है कि सेलेक्ट कमिटी से वापस आने पर विचार किया जायगा लेकिन इसके बारे में उल्लेख नहीं है । महात्मा गांधी ने कहा है—

"जमीन पर मेहनत करनेवाले किसान और मजदूर ज्योंही अपनी ताकत पहचान लेंगे त्योंही जमींदारी की बुराई का बुरापन दूर हो जायगा । अगर

वे लोग यह कह दें कि उन्हें सभ्य जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार अपने बच्चों के भोजन, वस्त्र और शिक्षण आदि के लिये जबतक काफी मजदूरी नहीं दी जायेगी, तबतक वे जमीन को जोतेंगे-बोयेंगे ही नहीं, तो जमींदार बेचारा कर ही क्या सकता है ?"

फिर उन्होंने कहा है कि—

"प्रतिष्ठित जीवन के लिये जितनी जमीन की आवश्यकता है, उससे अधिक किसी आदमी के पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा कौन है जो इस हकीकत से इनकार कर सके कि आम जनता की घोर गरीबी का कारण आज यही है कि उसके पास उसकी अपनी कही जानेवाली कोई जमीन नहीं है ?"

फिर कहा है कि—

"सर्व भूमि गोपाल की है, इसमें कहीं मेरी और तेरी [illegible] नहीं है।"

मैं पूछना चाहता हूँ कि १३ वर्षों में आपने [illegible] बांटी। [illegible] नेता श्री बसावन सिंह ने इस तरह का बिल लाया तो अपने [illegible] इस तरह का बिल लाना चाहते हैं। [illegible] किया ? मुझे तो ऐसा लगता है कि १९६२ के पहले आप इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करने जा रहे हैं ?

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्डस्ट्रीज के विकास के लिए [illegible] के लिए क्या काम किया गया ? इस सम्बन्ध में स्टेट कहांतक गया ? बोकारो में आपने स्टील कारखाना खोला। प्रथम योजना में कहां, दूसरी योजना में कहां लेकिन आजतक नहीं किया। आप दिल्ली जाते हैं लेकिन बिहार के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इस कारखाने के लिए क्या किया ? अमेरिका के हारवर्ड युनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम मि० गलिनेट है उन्होंने एक महीना पहले अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि हिन्दुस्तान में जो सोशलिज्म है वह पशुवत सोशलिज्म है। हांलाकि मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। पब्लिक सेक्टर में क्या करते हैं ? बड़े-बड़े अफसर हैं उनको पदाधिकारी बनाते हैं और वे अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं, जिम्मेवारी दूसरों पर लाद देते हैं। वे उत्तरदायित्व से भयभीत होते हैं। केवल वेतन उनके लिए आवश्यक है। जो एक्सपर्ट हैं उनको आप पब्लिक सेक्टर में रखें और बढ़ावा दें। ऐसी-ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे तेजी से और शीघ्रता से उद्योगों का विकास हो।

शिक्षा के बारे में आपने कहा है। मैं जानता हूँ कि चार युनिवर्सिटीज खुले लेकिन शिक्षा में काफी विलम्ब हो रहा है, राज्य में अराजकता फैली हुई है। चार उप-कुलपतियों की नियुक्ति की। वे सभी बड़े कर्मठ हैं, चरित्रवान हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उनमें से कोई भी स्कौलर हैं, शिक्षा के विशेषज्ञ हैं ? क्या बिहार राज्य में कोई ऐसा स्कौलर, विशेषज्ञ नहीं था ? न्यायाधीश की हैसियत से वे चरित्रवान है, ईमानदार हैं, उन पर व्यक्तिगत आक्षेप मेरा नहीं है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार शिक्षा विशेषज्ञों से सूना हो गया था ? एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला ? पटना कौलेज, साइंस कौलेज, आदि में सारे बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया, आज उनकी क्या हालत है। जे० सहाय को आपने यहां से हटा दिया और ऐसे व्यक्ति को रखा

जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन ने ककरेंस तक नहीं दिया । गरीब कर्मचारियों को आपने रांची, भागलपुर आदि जगहों में भेज दिया, जिनका वेतन ५० रुप से २०० रुपये तक है उनको आपने यहां से भगा दिया । आज शिक्षक प्रोफेसर आदि भयभीत हो गए हैं, वे कांप रहे हैं कि कब हमको रांची, भागलपुर भगा दिया जायगा । मनमानी चल रही है शिक्षा विभाग में । आप सभी कहते हैं कि शिक्षा स्तर को उठाया जाय लेकिन किस तरह इसे ऊंचा कर रहे हैं । ोफेसर्स इधर से उधर बदले जा रहे हैं । शिक्षा उप-मंत्री अपने ताकत में भूले हुए हैं और उनसे लोग भयभीत हैं । आपको मालूम होना चाहिये कि श्री विश्वनाथ सिंह जिनके विषय में इस सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है । उनकी फाइल को एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन ने लौटा दिया, फिर भेजा गया फिर भी लौटा दिया गया उनको आप धनबाद में डी इ० ओ० बनाए हुए हैं । श्री सुखदेव नारायण ठाकुर, डी० डी० पी० आई० ने एक्सटेंशन के लिए दरखास्त दिया, डी० पी० आई० ने लिखा कि रखा जाय, एजुकेशन मिनिस्टर लिखते हैं कि मिलना चाहिए लेकिन शिक्षा उप-मंत्री ने कहा कि नहीं मिलना चाहिये । इसका नतीजा क्या हुआ ?

अध्यक्ष—यह कैसे हो सकता है ?

श्री रामानन्द तिवारी—मैं बताता हूं । शिक्षा मंत्री के लिखने के बाद, फाइल लेकर शिक्षा उप-मंत्री मुख्य मंत्री के पास ले जाते हैं और उनसे अनुमति लेकर फाइल दबाए रहे और १२ बजे फाइल लेकर चपरासी आता है कि आप अब यहां से चले जाइए ।

इतने चरित्रवान व्यक्ति के साथ आपने इस तरह का काम किया केवल इसलिये कि उप-शिक्षा मंत्री ने उनसे नाजायज काम लेना चाहा और उसको उन्होंने नहीं किया । श्री जी० पी० दूबे इतने पंडित और चरित्रवान व्यक्ति हैं लेकिन वे ११ बजे से लेकर ४ बजे तक नवशक्ति प्रेस की बिल्डिंग की रखवाली करते हैं । अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया था उसको आपने सुना है । अगर इन सारी बातों पर विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये क्या कर रहे हैं ।

बाढ़ में श्रीमती चन्द्रकला सिंह ने एक स्कूल का निर्माण किया । तीन वर्ष तक वह स्कूल अनरिकोग्नाइज्ड रहा, उसमें वे प्रधान अध्यापिका के रूप में पढ़ाती रहीं और स्कूल की बहुत तरक्की हुई । जब स्कूल रिकोग्नाइज किया गया तब उनको हटा दिया गया । यह कहा गया कि श्री हीरा लाल अग्रवाल स्कूल के सेक्रेटरी और श्री यदुनन्दन प्रसाद मुख्तार २६ नवम्बर १९५४ से डोनर हैं और प्रत्येक ने ५ हजार रुपये से अधिक दान दिया है । जिला इंसपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने अपने इंसपेक्शन नोट में लिखा है—

"I wanted to verify their claims from the records of the school but not a single record in this connection was available. On my enquiry it was repor ed by the Secretary of the school that the papers are lost.'

जिस अध्यापिका ने अपने परिवार को छोड़कर इस स्कूल का निर्माण किया उसको स्कूल को रिकोग्नाइज होते ही हटा दिया गया ? इसके बाद विद्यालय निरीक्षिका, बिहार,

पटना से उनको री-इंसटेट करने के लिये २५ जून १९६० को आदेश उच्च बालिका विद्यालय, बाढ़ को गया तो आजतक उस आदेश का पालन नहीं किया गया है। इसी सदन के सदस्य श्री रामाकान्त झा प्रिन्सपल हैं लेकिन उनको कॉलेज की मैनेजिंग कमिटी में नहीं रखा गया है। प्रिन्सपल हैं इसलिये वे अयोग्य हैं। यदि नन-मेम्बर को मैनेजिंग कमिटी में रखा जाता तो मैं मानता लेकिन बेनीपट्टी क्षेत्र के एम०एल०ए० को मैनेजिंग कमिटी में रखा गया है। इस तरह की धांधली चल रही है।

अध्यक्ष---इनके नाम की कहीं चर्चा है? आप किसी कमिटी में हैं कि नहीं?

श्री रामानन्द तिवारी---वे तो मैनेजिंग कमिटी में नहीं हैं। मुझको तो किसी कमिटी में रखा नहीं गया है। अगर कांग्रेसी होता तो रखा जाता।

अस्पताल की भी यही हालत है। चिकित्सा मंत्री जो कुछ कर रहे हैं उसको मैं जानता हूं लेकिन दुःख के साथ मुझको कहना पड़ता है कि १५ जनवरी १९६१ को आरा में साइन्स के चतुर्थ साल का विद्यार्थी १६ पौंड के एक लोहे से स्पोर्ट में खेल रहा था। अचानक उसके सर में भारी चोट लग गयी। वह विद्यार्थी आरा अस्पताल में लाया गया। जब वह एडमिट हुआ उस समय सिविल सर्जन अपने क्वार्टर में थे लेकिन १० मिनट के बाद वे बाहर चले गये। इसके बाद मैंने राम वीरेन्द्र बाबू को टेलिफोन किया और उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन वह लड़का नहीं बच सका।

श्री द्वारिका भगत, जहानाबाद जेल का हेड वार्डर बीमार पड़ा, उसको १०४ डिग्री का बुखार हुआ। उसको जहानाबाद से ३१ दिसम्बर १९६० को पटना अस्पताल भेज दिया गया लेकिन यहां उसकी भर्ती नहीं हुई और वह ८ जनवरी १९६१ को मर गया।

श्री रामदहिन सिंह, गया के एक सिपाही को बीमार पड़ने पर पटना मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया लेकिन इनको दवा नहीं मिली। यह भूखा था और मेरे पास आया तो मैंने ५ रु० दिया और जेल के आइ०जी० को फोन किया तो उन्होंने रहने के लिये झोपड़ी दे दी और दवा मिल रही है लेकिन आज चार महीने से इनको वेतन नहीं दिया गया है। एशिया में जो सबसे अच्छा अस्पताल है वहां इस तरह की धांधली होती है। अध्यक्ष महोदय, आप वहां अपनी आंखों से देख सकते हैं कि सैकड़ों रोगी और उनकी सेवा करने वाले जाड़े की रात में बरगद के पेड़ के नीचे ठिठुरते रहते हैं। क्या इसीलिये आप जनता से टैक्स लेते हैं। मैंने कई बार कहा है कि डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जाय। १०० रु० के बदले उनको हजार रुपया वेतन दीजिए लेकिन जनता की जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अस्पताल में उन्हीं लोगों की दवा होती है जिनके पास पैसा हो या सिफारिश ला सकते हैं।

सहकारिता कितनी अच्छी चीज है। गांधीजी ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि खेती को अगर सहकारी पद्धति पर ठीक रीति से चलाया जाय तो उसका सुपरिणाम किसानों के लिए ही नहीं सारे देश के लिए होगा। इसका आपने बहुत ढिंढोरा पीटा था लेकिन स्वतंत्र पार्टी का जब निर्माण हुआ और जब उसने यह कहा कि यह तो कम्युनिस्ट सरकार का काम है और इससे सारा देश बर्बाद हो जायगा तो कांग्रेस की सरकार ने डर से घुटने टेक दिये और सहकारिता को छोड़ दिया। सरकार का कहना है कि इतने हजार सहकारी समितियां बन गई लेकिन देहातों में

जाकर आप देखें तो मालूम होगा कि वहां कुछ भी नहीं हुआ है। इससे मालूम होता है कि आपकी नीति कायरतापूर्ण है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह खर्च रोज क्यों बढ़ाती चली जा रही है? बड़े-बड़े पदों का निर्माण कर रही है। जिस गरीब राज्य के मंत्री और उप-मंत्री साल में ३ लाख रुपया टी०ए० लेंगे, प्रतिमाह ११८ रु० का अखबार पढ़ेंगे और १६२ रु० को फाउन्टेनपेन से लिखेंगे वह राज्य कहां जायगा। जिस गरीब राज्य में अफसरों के बंगले और कमरों में कीमती दरियां रखी जायेंगी, बर्मा टीक उड के फर्नीचर रखे जायेंगे वह राज्य कहां जायगा। जब गरीब कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की बात कही जाती है, किसानों को राहत देने की बात कही जाती है तो कहा जाता है कि यह असंगत है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन सरकार अपना खर्च तो सुरसा की तरह बढ़ाती चली जा रही है।

बिना जरूरत आप खर्च करते चले जा रहे हैं, यह कौन रोकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके लिये, व्यापक भ्रष्टाचार के लिये, एक हाई पावर कमिटी का निर्माण हो और उस कमिटी का काम हो कि जब से मंत्री के पद पर ये आये हैं, जब से एम०एल०ए० या एम०पी० हुए हैं उनकी स्थिति पहले क्या थी और आज उनकी सम्पत्ति क्या है, इसकी जांच करें। इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हों और यह कमिटी दो-तीन आदमियों की होनी चाहिए। आज बोरिंग रोड में जो बड़े-बड़े महल बन गये हैं जिसमें बिहार सरकार के लोग नहीं रहते बल्कि बिहार सरकार का सरकारी मुहकमा कहीं १२ सौ रुपये, कहीं ६ सौ रुपये के किराये पर लगा हुआ है, वे महल उनके पास कहां से आये इसकी जांच करे। इसलिये मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से, सदन के माननीय सदस्यों के माध्यम से, एक हाई पावर कमिटी बनाई जाय और वह इन सारी चीजों की जांच करे। अध्यक्ष महोदय, आज सर्वे हो रहा है। रात में डकैतियां होती हैं लेकिन ये लोग दिन में डकैती करते हैं। एक तरफ कमीशन और दूसरी तरफ तेज कैंची आपने हाथ में दे दिया है जिसके चलते सर्वे के नाम पर जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। समझ में नहीं आता है कि सर्वे क्यों कराया जा रहा है? आपको पहले ही अखबारों में विज्ञप्ति निकाल देनी चाहिये थी कि इन लोगों का काम क्या होगा सर्वे के सिलसिले में। अध्यक्ष महोदय, आपने ग्राम पंचायत का निर्माण किया, बहुत अच्छा किया लेकिन सत्ता का विकेन्द्रीकरण भी होना चाहिए। ग्राम पंचायतों में जो इतनी धांधली मची हुई है उसकी रोक-थाम के लिये आपने कोई भी मशिनरी सेट अप नहीं किया है जो हर ग्राम पंचायत के आय-व्ययक की जांच करे। किस तरह से सारा काम हो रहा है इसको आपने नहीं कहा। ग्राम पंचायतों का चुनाव करने मात्र से ही इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है। आज हम इन बातों पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार हमें कहां ले जा रही है?

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं चीनी मिलों के यहां हजारों-हजार रुपये किसानों का बकाया पड़ा हुआ है, किसान जेठ की दुपहरी में कड़ी मिहनत करते हैं, मालगुजारी वसूल करने के लिये आप सर्टिफिकेट भी भेज देते हैं लेकिन उनका हजारों रुपये बिहटा, दरभंगा, छपरा के चीनी मिलों के यहां बाकी पड़े हुए हैं। हमारे चन्द्रदेव बाबू ने 'काम रोको' प्रस्ताव लाया, आश्वासन दिया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। पता नहीं चलता कि आपकी नीति क्या है? इन सारी बातों पर विचार करें और सोचें

कि यह जो गरीबी है, आर्थिक विषमता है उसका कारण क्या है। महात्मा गांधी का कहना था—

"मैं चाहूंगा कि चपरासी मंत्रिपद के लायक बनें और तौभी अपनी जरूरत चपरासी जितनी रखें। यह बात बिलकुल ठीक है कि मंत्रियों को मैं पांच सौ रुपये माहवार देने की बात क्यों कहता हूं जबकि चपरासी पन्द्रह रुपये माहवार पाते हैं? जब चपरासी की गुजर इतने कम में नहीं होती तो उसे ज्यादा मिलना ही चाहिए। मंत्रियों की तनख्वाह पांच सौ रुपये से पन्द्रह सौ रुपये क्यों हो गई, यह अलग सवाल है। मूल प्रश्न के हल होने पर यह भी हल हो सकता है। मंत्रियों और चपरासियों की तनख्वाहों में जो आज इतना भारी अन्तर है उसे दूर करने, कम-से-कम करने, का आन्दोलन शान्ति से करना चाहिये।"

तो अध्यक्ष महोदय, यह महात्मा गांधी जी का कहना था। आप उन सारी बातों पर सोंचे और गौर करें और अगर सचमुच में आप विहार राज्य में सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता दूर करना चाहते हैं तो आपको अविलम्ब उसके लिये दृढ़ कदम उठाना चाहिए और सरकारी कर्मचारी के निम्नतर वेतन को ऊंचा लाया जाय और अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन कम स्तर पर लाना चाहिये। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वह दिन शीघ्र आयगा कि आप इस गद्दी से हटा दिये जायेंगे। भूखे और बेकारों की एक जमायत एक ओर और दूसरी तरफ खूनी क्रान्ति, दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है और इस तरह हमलोग प्लेटफार्म पर खड़े हैं जिससे आप भी जायेंगे और हमलोगों को भी लेते जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन सारी बातों पर विचार करे। जय जनता, जय भारत।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—अध्यक्ष महोदय, कवल मैं कुछ राज्यपाल के अभिभाषण

पर वहूं मैं इस सूबे की प्राकृतिक पृष्ठभूमि की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि प्रकृति ने बिहार प्रान्त को क्या दिया है और किस तरह का इसका आर्थिक उन्नयन और उत्थान का कार्य यहां हो सकता है और किस कारण से वह नहीं हो पाता है? अध्यक्ष महोदय, प्रकृति ने बिहार के अन्दर इतनी चीजें दे रखी है कि यहां की आर्थिक अवस्था अन्य प्रान्तों की अपेक्षा अच्छी हो सकती है। लेकिन हमलोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो रहा है। जो इस प्रान्त का प्रशासन-यन्त्र रहा है या जो उसकी पॉलिसी रही है वह हमें आगे नहीं बढ़ा सकी है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं दो शब्द रखना चाहता हूं—

"The southern part of Bihar is richly endowed by nature with important mineral deposits which are so favourably grouped together as to induce the development of a number of industries, including heavy industries. This tract contains about 80 per cent of the known deposits of coal including large deposits of coking coal and vast deposits of high-grade iron-ore. In addition, there exist large quantities of lime-stone, manganese, bauxite, mica, copper-ore, china-clay, kyanite and beryl, etc."

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकृति की देन के बावजूद भी क्या कारण है कि हमारे सूबे के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार न हो सका है? मैं समझता हूं कि जरूर इसमें कोई बहुत बड़ा ऐब है या यहां का जो प्रशासन-यन्त्र है वह इस बात को समझ

नहीं पा रहा है कि किस तरह से सूबे का विकास किया जाय। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि हमारे यहां अभी भी इतने मिनरल रिसोर्सेज रहते हुए भी ८६ प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर कर रही है और एक करोड़ ६ लाख स्वस्थ लोग (एब्ल बडीड) खेती में काम कर रहे हैं जिसमें ४६ लाख ऐसे आदमी हैं जिनको खेती पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन आज चूंकि इस सूबे में उद्योग का विकास नहीं हो रहा है इस कारण से ये लोग खेती पर ही बोझ बने हुए हैं और जमीन की हालत यह है कि हमारे यहां जो जमीन खेती के लायक है उसपर तो इनटेन्सिव कल्टिवेशन किया जाय तो मैं समझता हूं कि कम लोग उस पर काम करें तो जितनी उपज होती है उससे अधिक हो सकती है लेकिन आजतक सरकारी यंत्र ने इसका कोई भी नक्शा नहीं सामने रखा कि किस तरह से हम इसको बदले ताकि सूबे के लोगों की आर्थिक अवस्था अच्छी हो। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि अभी जिस बेकारी की समस्या को आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दूर करने की बात कर रहे हैं वह कठिन है क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में जो बेकारी की समस्या के आंकड़े थे और जो परसेन्टेज था वह द्वितीय योजना काल में घटा नहीं बल्कि बढ़ा ही है। आश्चर्य होता है कि किस तरह की यह प्लैनिंग है। इस दिशा में योजना बिलकुल असफल रही है।

अध्यक्ष--परसेन्टेज डेटरमिन करने का क्या साधन है?

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा--सरकार की ओर से सर्वे होता है और उसी के मुताबिक मैं कह रहा हूं। इसमें है--

"This calculation shows that about 47 lakh persons out of about 109 lakh of those believed to be engaged in agriculture are redundant."

अध्यक्ष महोदय, ४७ लाख आदमी खेती पर बेकार हैं। इसके अलावे २६ लाख आदमी ऐसे हैं जो काम नहीं कर सकते हैं जो माइनर हैं या बूढ़े हैं। सरकार के यहां इनके लिए कोई ऐसी स्कीम या प्रोग्राम नहीं है जिससे इनका परसेन्टेज कम किया जाय। शहरों में--

"Our Urban Unemployment Survey of 1954 showed that 15.69 per cent of the employable population in the Class I towns, 17.52 per cent in Class II towns and 13.88 per cent in Class III towns were unemployed".

शहरों में जो बेकारी है वह गांवों की अपेक्षा जरूर कम है लेकिन इसको भी दूसरे राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो हमारे राज्य में शहरों में वृद्धि ही हुई है।

इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे जो शहर हैं उसमें काम करने वाले शहरों की संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। कुछ शहरों में वृद्धि हुई है लेकिन दूसरे राज्यों के शहरों की अपेक्षा बहुत कम हुई है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे राज्य के अन्दर ऐसी परिस्थिति नहीं आयी है कि हमारी आर्थिक अवस्था ठीक हो गयी। इसके लिए हम जागरूक नहीं मालूम पड़ते जिससे हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे यहां इंडस्ट्रीज बढ़ सके। जहांतक उत्तर बिहार की बात है वहां इंडस्ट्रीज को बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि वहां मिनरल रिसोर्सेज नहीं पाये जाते हैं लेकिन वहां खेती उन्नत ढंग से हो

सकती है और उससे उत्तर बिहार ही नहीं सारे सूबे के लोगों के भोजन की समस्या हल हो सकती है। दूसरी तरफ छोटानागपुर का इलाका है जहां काफी व्यापार खुल सकता है। बड़े कारखाने के साथ छोटे-छोटे अनेकों उद्योग खुल सकते हैं।

"With the establishment of heavy industries in the public sector, a number of industrial townships are expected to grow at Ranchi, Bokaro, Barauni, Muri, Barkakana, Adityapur, Samastipur, Darbhanga etc. It is necessary for the State Government to prepare master rural-urban plans for the development of all these areas. Schemes should also be prepared for acquiring and developing sites for the location of ancillary industries and employment—oriented complementary industries in the private sectors in these industrial townships."

अध्यक्ष--आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा--यह बिहार अनइम्प्लायमेंट कमिटी १९६० की रिपोर्ट है। ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े कारखाने खुल रहे हैं लेकिन उससे अनइम्प्लायमेंट का समाधान नहीं हो सकता है। हम देखते हैं छोटानागपुर में जो लोग कारखानों में काम करते हैं उनकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ है क्योंकि बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज में बिहार तथा खासकर छोटानागपुर के बहुत कम लोग काम करते हैं और दूसरे सूबे के लोग भरे पड़े हैं। ये कारखाने राष्ट्रीयता की दृष्टि से खोले गये हैं और उससे राष्ट्र को फायदा है। लेकिन उस कारखाने के अगल-बगल के लोगों को उससे कोई खास लाभ नहीं हुआ है बल्कि परेशानी ही बढ़ी है। इसीलिए बड़े-बड़े कारखानों के साथ-साथ अनसिलरी कारखाना होना चाहिए जिससे वहां के लोगों को काम मिल सके। हमारे यहां जो बड़े कारखाने हैं और छोटे कारखाने हैं उनका अनुपात (रेशियो) बहुत ही निरुत्साहजनक है।

"Although this State is rich in mineral resources and has a number of heavy industries, there is no justification for complacency as these absorb only a small percentage of the employable force."

बिग इंडस्ट्रीज लेबर फोर्स को बहुत कम काम देती है।

"There is imbalance between the heavy industries and the superstructure of medium and light industries in this State."

जो इनमें अनबैलेन्स्ड अनुपात है उसको घटाना चाहिए। अगर सरकार इस ओर कदम नहीं बढ़ाती है तो हमारे यहां के लोगों की बेकारी की हालत में सुधार नहीं ला सकती है।

अध्यक्ष--महात्मा गांधी का यह कहना था कि बिग इंडस्ट्रीज होने से लोगों की बेकारी बढ़ती है।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा--मैं इसको मानता हूं लेकिन हेवी इंडस्ट्रीज का होना भी जरूरी है। क्योंकि यदि हेवी इन्डस्ट्रीज नहीं होगी तो छोटे-छोटे कारखानों का

सामान कैसे बनेगा। मेरा कहना यह है कि आप प्राइवेट इन्टरप्राइज को क्यों नहीं करते कारखाने स्थापित करके। मैं समझता हूं कि इसका कारण है और जैसा कि इस रिपोर्ट में दिया हुआ है वह यह है कि सरकार की ओर से उनको किसी प्रकार बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इसमें जो लिखा हुआ है वह अक्षरशः सत्य है। उनकी क्या-क्या दिक्कत है उनको सरकार दूर नहीं कर सकती है। The difficulties of the entrepreneurs mentioned in the report of the Sub-Committee on Industrial Unemployment may be summarised as follows :—

(1) Quick acquisition of land for prospective industrial sites at reasonable prices.

(2) Supply of cheap electrical energy at rates comparable to those in the neighbouring States.

अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है। हमारे यहां काफी मात्रा में बिजली पैदा होती है लेकिन कल-कारखानों को रेयायती दर पर नहीं दे सकते हैं ताकि उन्हें कारखाना खोलने एवं चलाने में सहुलियत हो। उस ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग-धंधों के लिए टैक्स का बोझ कम होना चाहिए।

There should be income-tax exemption on new enterprises having capital of five to ten lakhs."

अनइम्प्लायमेंट कमिटी का यह बहुत अच्छा सुझाव है। कोई (इंडस्ट्रियलिस्ट) उद्योगपति यदि इंडस्ट्रीज कायम करना चाहें तो उन्हें शुरू में पांच लाख या दस लाख तक इनकम-टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसका नतीजा यह होगा कि लोग हमारे सूबे की ओर आकृष्ट होंगे और हमारे यहां नया कारखाना खोलेंगे तथा यहां के निवासियों को रोजगार मिलेगा। सही माने में छोटानागपुर में इंडियन पैराडौक्स याने "बाहुल्य में गरीबी" का नक्शा पाया जाता है। इस परिस्थिति को बनाये रखने का सारा उत्तर-दायित्व बिहार के कांग्रेसी शासन यंत्र पर है। एक तरफ बिहार में जहां गंगा और गंडक की घाटी की उर्वरा भूमि है और दूसरी तरफ छोटानागपुर में लाखों-अरबों की सम्पत्ति भरी पड़ी है लेकिन गरीबी मिटाने तथा काम करने में सरकार बिल्कुल असफल रही है। यह कहना ठीक है कि जबतक देश में सम्पत्ति नहीं बढ़ती है तबतक गरीबी नहीं जा सकती है।

*श्री वीरचन्द पटेल——माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने तय किया है कि जो नये इंडस्ट्रीज कायम होंगे उसमें पांच साल तक इनकम-टैक्स नहीं लिया जायगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा——अध्यक्ष महोदय, अब सेल्स टैक्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

"There should be no sales tax on raw materials and sales tax on finished goods should be comparable to sales tax in neighbouring States."

यह इस राज्य सरकार के हाथ की चीज है। इसपर बिहार सरकार का पूरा अख्तियार है। मैं सरकार से सिफारिश करता हूं कि सूबे बिहार के उत्थान के लिये

कच्चे मालों पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए और तबतक नहीं लगना चाहिए जबतक अच्छी तरह से हमारा सूबा कल-कारखानों से भरापूरा न हो जाय। इंडस्ट्रीज के लिये जो दरखास्तें आती हैं उनपर जल्दी होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह भी सुनकर आश्चर्य होगा कि कर्ज के लिये जो दरखास्तें पड़ती हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कर्ज लेना चाहते हैं, जो ऐडमिसिबुल है वह भी बहुत दिनों तक पड़ी रहती, है जबतक पैरवी नहीं होती तबतक उस पर ऑर्डर नहीं होता है। बढ़ावा देने के बदले सही और ठीक मामले में भी रोड़े और अड़ंगे लगाये जाते हैं। अभी भी बहुत-सी दरखास्तें पड़ी हुई हैं। सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि जो इस काम के लिए दरखास्त आयें वह ज्यादे-से-ज्यादे छः महीने के अन्दर जरूर डिसपोज ऑफ हो जाय इसमें जरा तेजी होनी चाहिये। नयी सरकार से मैं उम्मीद करूंगा कि वह इस ओर तेजी लाने को कोशिश करेगी।

"There should be adequate development of road and railway transport facilities so that the working of mines and minerals is not interrupted."

इस संबंध में मेरी ऐसी जानकारी है कि हजारीबाग जिले में जो मिनरल्स हैं भरपूर तायदाद में हैं लेकिन सड़कों की हालत देखिये बड़ी ही बुरी है और जो हैं भी उनकी संख्या बहुत कम है। सूबे बिहार में दो ही अभागे जिले हैं जिसके हेडक्वार्टर तक में भी रेल रोड नहीं है और वे हैं हजारीबाग और संताल परगना जिले के मुख्यालय। गवर्नर साहब ने अपने भाषण में कहा है कि रोड में बहुत सुधार हुआ है और खासकर उत्तर बिहार में माइलेज की संख्या बहुत बढ़ गयी है लेकिन छोटानागपुर की चर्चा उन्होंने नहीं की है। हजारीबाग में बहुत-सी खानें हैं लेकिन सड़क नहीं है, आवागमन की असुविधा है जिससे उन खनिज पदार्थों का एक्स्ट्रायटेशन अच्छी तरह नहीं हो सकता है। सरकार को इन सब चीजों को बढ़ावा देना चाहिए था।

"The mineral policy of Government should be re-examined with a view to develop mining."

अभी जो माइनिंग का कानून है वह कुछ ऐसा है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है, काम करनेवाले को भी असुविधा होती है। इसमें फिर से संशोधन की आवश्यकता है जिससे लोगों को बढ़ावा मिल सके। यह तो बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज की बात हुई। हमारे यहां कॉटेज इंडस्ट्रीज, अथवा छोटे-छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं उसे बढ़ावा मिलना चाहिये। हमारे यहां जंगलों में सवाई घास बहुतायत से होता है और यह ऐसी जगह में होती है जहां अनाज नहीं उपजाया जा सकता है। यदि इसको बढ़ावा दिया जाय तो इससे रस्सी बनाने, कागज बनाने के काम के द्वारा बहुत से लोगों को रोजी मिल सकती है और काफी रुपया सरकार को भी मिल सकता है लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

सरकार का कहना है कि प्राइवेट इंवेस्टमेंट करने वाली पार्टी नहीं आती है। इसके लिये भी उपाय है। वह यह है कि सरकार प्राइवेट पार्टी के साथ साझेदारी के साथ काम करना शुरू करे तो लोगों को सहूलियत भी होगी और नये-नये लोग भी आयेंगे। यदि सरकार साझेदारी पर इंडस्ट्रीज खोलना चाहे तो बहुत-से कैपिटलिस्ट आ जायेंगे लेकिन ऐसी भी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। यही सब कारण है जिससे इंडस्ट्रीज आगे नहीं बढ़ रहो है। बजट में भी इंडस्ट्रीज के लिये कोई अच्छी रकम नहीं रखी गयी है जैसे इसका कोई महत्व ही न हो।

छोटानागपुर के अधिकतर लोगों की बेकारी इसी से दूर हो सकती है मगर इसकी कोई भी चर्चा गवर्नर साहब के ऐड्रेस में नहीं है।

जिस तरह से उत्तर बिहार के लिये इरीगेशन के लिये मास्टर प्लॉन बनाया गया है उसी तरह से छोटानागपुर के लिये भी इंडस्ट्रीज के लिये एक इंटीग्रेटेड प्लैन बने। उत्तर बिहार में कोशी, गंडक प्रोजेक्ट बना है यह अच्छी चीज है। लेकिन छोटानागपुर की आम जनता के आर्थिक विकास के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है।

दूसरा इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कंक्रीट डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर की इनके यहां कोई स्कीम नहीं है। अंचल और पंचायत की स्कीम इनकी है लेकिन सचमुच पंचायतें सबल नहीं हो पायी हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का एक प्लान होना चाहिए जिसके मुताबिक डिसेन्ट्रालाइजेशन हो। सरकार जब चाहे पावर दे दे और जब चाहे नहीं दे ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोगों का परचेजिंग पावर खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में घट गयी है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। यह बड़े दुःख की बात है कि जिसको यह इंडस्ट्रियल एरिया मानते हैं उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने के बदले घट गया है। इसके कारण की छानबीन सरकार को करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी घटे नहीं बल्कि बढ़े। अध्यक्ष महोदय, कबल इसके कि मैं समाप्त करूं मैं यह कहना चाहता हूं कि जमीन एवं कृषि संबंधी राज्य की पॉलिसी स्थायी होनी चाहिए जिससे किसान जो अनाज पैदा करता है और अपना लेबर लगाता है उसे अपनी आमदनी ज्ञात रहे तथा उसके अनुसार उसमें 'कैपिटल' एवं लेबर लगावे। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को क्लियर कट एनाउंसमेंट पॉलिसी का करना चाहिए कि कम-से-कम यह पचीस वर्ष तक रहेगी ताकि जिनके पास जमीन है उसका वह अच्छी तरह सुधार कर सकें। अभी जो पॉलिसी है सरकार की, उससे मालूम होता है कि यह अभी कोई लैंड पॉलिसी तय ही नहीं कर पाये हैं कि आगे क्या होगा। उनको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कम-से-कम २५ वर्ष तक स्थायी हो ताकि लोगों को उससे सहूलियत हो और लोग उससे जमीन का सुधार कर सकें और इंटेन्सिव फार्मिंग का बन्दोबस्त कर सकें। इंटेन्सिव फार्मिंग में सिर्फ किसानों की ही जवाबदेही नहीं होनी चाहिए बल्कि राज्य और किसान दोनों का सम्मिलित प्रयास होना चाहिए क्योंकि सिर्फ किसानों पर छोड़ देने से इंटेन्सिव फार्मिंग नहीं हो सकता है। और जबतक इंटेन्सिव फार्मिंग नहीं होगा तबतक फूड प्रौब्लेम सौल्व नहीं हो सकेगा चूंकि जमीन की एरिया तो बढ़ नहीं सकती है, जो जमीन है उसी में से अधिक अन्न उपजाना है। किसान जो अनाज या दूसरी चीज (क्रौप) पैदा करता है अभी उसको नहीं मालूम रहता है कि क्रौप तैयार होने पर कितनी कीमत उसको मिलेगी। वह अंधेरे में रहता है, अन्दाज से खेती करता है। जब क्रौप तैयार हो जाता है तो कभी भाव बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। इसलिये सरकार को ऐसा करना चाहिए कि दो सीजन पहले ही से मूल्य का निर्धारण हो जाय ताकि किसान पूरी लगन के साथ अधिक-से-अधिक अनाज उपजाने में लग जाय और उसे लाभ हो सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो आनाज की कमी का सवाल है इस ओर सरकार की भरपूर चेष्टा होनी चाहिए कि जो भी मेन क्रौप हमारे यहां होते हैं उनको एक प्लैन्ड पीरियड के अन्दर पैरेनियल इरीगेशन में रखें। जबतक यह नहीं होता है तबतक हमारे यहां मेन क्रौप की पैदावार में सुधार नहीं हो सकता है। अभी उनके यहां एक यूनिफाइड स्कीम हो गयी है इरिगेशन की। पहले ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन

डिपार्टमेंट के अन्दर सिंचाई का काम होता था लेकिन अब सिर्फ़ ऐग्रिकल्चर और इरीगेशन डिपार्टमेंट रहेंगे और उसमें एक यूनिफायड स्कीम कायम हुई है। मेरा सजेशन है कि हर जिले में एक इरीगेशन कोआॅर्डिनेशन कमिटी होनी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी के अन्दर हो और उसमें डिस्ट्रिक्ट या सबडिवीजन का हर तरह की सिंचाई का प्रबन्ध योजनावद्ध हो। यह कमिटी एक योजना बनाकर इरीगेशन की सारी समस्याओं का समाधान करे ताकि कहीं लैपसाइडेड या अन्डर-डेवलपमेंट की संभावना नहीं हो। उसके बाद जितनी जमीन हमारे स्टेट में है जो अभी तक रिक्लेम नहीं हो सकी है उसको रिक्लेम करने के लिये सबसिडी देना चाहिए। अभी जो सबसिडी देने का तरीका है वह ऐसा है कि जो पैसा मिलता है वह सरकारी यंत्र की लापरवाही से उस काम में नहीं खर्च होता है। जमीन आबादी के लिए सबसिडी दी जाती है लेकिन वह पैसा कहीं का कहीं चला जाता है। इसलिये इसमें ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि जो पैसा दिया जाता है वह उसी काम में खर्च हो।

बड़ी-बड़ी (हेवी) इंडस्ट्रीज खुल रही हैं लेकिन कंज्युमर गुड्स के लिये कॉटेज इंडस्ट्रीज और छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज का नेट वर्क होना चाहिए और यह स्टेट के उन हिस्सों में अधिक होना चाहिए जहां खेती कम जमीन में होती है। ताकि जो लोग खेती के काम करने के बाद बेकार रहते हैं इससे लाभ उठा सकें और उनके लिए कुछ-न-कुछ पैसा उपार्जन का साधन रहे। मेरे जिले में २१०२२ लाख लोग बसते हैं लेकिन जो जमीन है उससे मुश्किल से एक से ७-८ लाख लोगों की गुजर हो सकती है। उनके पास पैसा नहीं है कि कोई इंडस्ट्रीज छोटी-मोटी खड़ा कर सकें। इसलिये सरकार को चाहिए कि ऐसे हिस्सों में छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज कायम करने में पूंजी की मदद करें ताकि वहां के लोग इंडस्ट्रीज की तरफ जायं और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।

अध्यक्ष महोदय, हमसे पहले कई वक्ताओं ने अपने भाषण में कुछ मिसाल देकर भ्रष्टाचार के विषय में कहा है। करप्शन, रेड टैपिज्म, इनएफिशिएन्सी, पारशियलिटी आदि के बारे में जो कुछ कहा है वह बहुत ही कम है। श्री रामानन्द तिवारी ने २-४ उदाहरण दिये हैं। वह तो उन्होंने बहुत कम कहा है। सरकार अगर आॅफिशियल और नन-आॅफिशियल की एक कमिटी बनाकर इसके बारे में सर्वे करावे तो आप देखेंगे कि क्या परिस्थिति है। इसके अलावे सरकारी अफसरों में असंतोष काफी मात्रा में है। इसका कारण यह है कि अफसर की पैरवी करने वाले कोई नहीं हैं उनकी जायज तरक्की भी नहीं होती। अगर किसी का पैरवीकार होता है तो वह ऊपर के लोगों को दबाकर उसके सर पर चढ़ जाता है। इसलिये २-४ केसेज की जो बात कही गयी है वह बहुत कम है। पारशियलिटी और फेवरिटिज्म हर विभाग में है। अतः १-२ मिसाल देना वाजिब नहीं है।

करप्शन के बारे में सरकार का जवाब है कि चूंकि समाज में करप्शन फैल गया है इसलिये उसका दूर होना कठिन है। तो मैं पूछता हूं कि क्या करप्शन हट नहीं सकता है? मैं कहता हूं हट सकता है। आज करप्शन से प्रशासन यंत्र भी बरी नहीं है। इसलिये इसकी जरूरत है कि पहले सरकारी उच्च पदाधिकारी और प्रशासन यंत्र निष्पक्ष और ईमानदार हो। नीचे वर्ग का करप्शन तो आप-से-आप मिट जायगा। नेता की हैसियत से मैं समझता हूं जो नेता शासन का बागडोर थामें हुए हैं उन्हें ही इस बात के लिये भी नेतागिरी करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए उन्हें ही मार्ग-प्रदर्शन करना चाहिए। जबतक ऐसा नहीं होता करप्शन दूर नहीं होगा।

मैंने अखवार में देखा है कि पंजाव सरकार ने ६वें क्लास तक फ्री एजुकेशन कर दिया है। हम तो उम्मीद करते थे कि बजट भाषण के अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस तरह का जिक्र होगा लेकिन इस मामले में मुझे निराश होना पड़ा। जब पंजाब सरकार ६ वें क्लास तक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क कर सकती है तब हमारी सरकार को तो कम से कम मिड्ल क्लास तक भी तो फ्री तथा अनिवार्य कर देना चाहिये। हमारे यहां पर अभी प्राइमरी शिक्षा ही फ्री है लेकिन कम्पलसरी नहीं है। आज हमारे यहां पर इतनी अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक इल्लिटरेसी है तो यहां पर कम्पलसरी और फ्री शिक्षा होनी चाहिये। आज जो बच्चे आजादी हासिल होने के बाद पैदा हुए हैं उनके लिये तो कम-से-कम शिक्षा का इंतजाम इस सरकार को करना चाहिये और इसलिये हमारा सुझाव है कि मिड्ल स्टैन्डर्ड तक तो शिक्षा फ्री और कम्पलसरी जरूरी कर देनी चाहिये। इस ओर हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। आज यहां पर आदिवासी और हरिजन तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को स्टाइपेंड मिलता है लेकिन छात्रवृति की रकम इतनी कम रहती है कि वास्तव में उससे कुछ होता नहीं है। हमारा सुझाव है कि इस रकम में भी वृद्धि करनी चाहिये। अभी राज्यपाल के अभिभाषण को देखने से यह भी पता चला है कि जो गरीब लड़का ७०से७५ फी सदी नम्बर क्लास परीक्षा में लावेगा और यदि गरीवी की वजह से पढ़ नहीं सकेगा तो उसे भी स्टाईपेंड दिया जायेगा। हमारा ख्याल है कि ७० से ७५ फी सदी नम्बर लाना आसान नहीं है और इसलिये मुनासिब यह होगा कि इसे घटाकर ६० प्रतिशत नम्बर कर दिया जाय तो इससे बहुत से गरीब लड़कों के पढ़ने का इंतजाम हो जायेगा।

अब एक दूसरे विषय की ओर आता हूं। यद्यपि बंगाल का स्टेट हमारे स्टेट से छोटा है लेकिन आपके सामने रिपोर्ट से यह पढ़कर बतला देना चाहता हूं कि उससे हमलोग कितने पीछे हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि—

"A study of the Census of Indian Manufacturers, 1957, shows while Bihar has fewer registered factories and less industrial employment than West Bengal, Bombay and Madras, the per capita unemployment is higher in Bihar than in West Bengal and Madras and also higher than the All-India average."

This is at page 23 of the report of Bihar Unemployment Committee, 1960.

हमारे यहां पर इतनी खनिज संम्पत्ति है लेकिन फिर भी फैक्टरियों की संख्या इतनी कम है और बंगाल और बम्बई में खनिज पदार्थों की कमी होते हुए भी फैक्टरियों की संख्या ज्यादा है।

*Shri **SYED MAQBOOL AHMAD** : They are superior in this respect from a very long time.

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

Shri **RAMESHWAR PRASAD MAHTHA** : What have you been doing since you are here ?

Shri **SYED MAQBOOL AHMAD** : We have established so many industries in Chota Nagpur.

Shri **RAMESHWAR PRASAD MAHTHA** : Only by establishing heavy industries, the number of factories cannot be increased.

Shri SYED MAQBOOL AHMAD : We are establishing so many ancillary industries.

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा--अब मैं एक दूसरे विषय की ओर आता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में हमारे जिले के लोटिया इरीगेशन का भी जिक्र है। इस स्कीम का राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र करते हुए शासकीय मशीनरी को हया भी नहीं आयी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं इस स्कीम का निरीक्षण किया है। यह स्कीम २,४५,००० रुपये की है और इसको छोटानागपुर के मेजर स्कीम में शुमार किया जा रहा है। इस स्कीम से १,६०० एकड़ जमीन पटने की बात लिखी हुई है लेकिन अभी मुश्किल से १०० एकड़ जमीन पटती होगी। हम अपने वर्त्तमान मुख्य मंत्री तथा सिंचाई मंत्री से आग्रह करेंगे कि वे स्वयं जाकर इस स्कीम को देख आवे तो मालूम होगा कि सिर्फ कागज का घोड़ा दौड़ाया जा रहा है। इससे कैनल भी अभी तक नहीं बन पाया है और न कैनेल में भी पानी ठीक से जा सकता है लेकिन शासन यंत्र इसका ढोल पीट रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण में भी यह कहा गया कि हजारीबाग जिले के लिये एक लोटिया मेजर स्कीम चालू है। इसे देखने से हंसी आती है कि किस तरह से आंकड़ा तैयार किया जाता है और किस तरह से सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम करती है और किस तरह से चलती है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री को इसके लिये चैलेन्ज करता हूं कि वे स्वयं जाकर इसे देख आवें तो उनको असली बात का पता चल जायेगा कि कितना पानी इसमें आता है और कितनी सिंचाई हो सकती है। गत वर्ष भी इस स्कीम का जिक्र यहां पर हमने किया था लेकिन शासनयंत्र पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है।

यह यंत्र ऐसा नाकामयाब हो गया है कि इसमें क्षमता ही नहीं रह गयी है कि गलती और सच्चाई को देखें। इस अवस्था में जो कुछ भी कहा जाय उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है क्योंकि इस सरकार पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है और जो नये रूप में मंत्रि मंडल कायम होने वाला है उससे हमलोग कुछ उम्मीद कर सकते हैं।

अब मैं फौरेस्ट के बारे में यह बता देना चाहता हूं कि फौरेस्ट पॉलिसी के सम्बन्ध में जो प्रिवेलिंग डिस्सैटिसफैक्शन (prevailing dissatisfaction) है वह इसलिए है कि फौरेस्ट पौलिसी इल कनसीव्ड (ill concieved) है और बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है। आपको मालूम है कि जंगल के मसले को लेकर कितने मंत्री चले गए और शायद कितने चले जायेंगे। जंगल की पौलिसी में मौलिक परिवर्तन जबतक नहीं होगा तबतक वहां के लोगों को संतोष नहीं मिलेगा। जबतक वहां के लोगों की तबाही नहीं घटेगी तबतक वहां के लोगों से सहयोग की आशा करना व्यर्थ होगा। आप जानते हैं कि हजारीबाग और बरही के बीच में १२५ वर्गमील का नैशनल पार्क बनाया जाता है जिससे वहां के किसानों को जंगल से लकड़ी लेना या और जो हक था उससे वंचित करने का विचार किया जा रहा है।

दुर्भाग्यवश उस इलाके में मेरा क्षेत्र पड़ता है और मुझे वहां के लोगों ने कहा कि हजारीबाग के डी० एफ० ओ० ने कहा है कि नैशनल पार्क से उनको लकड़ी वगैरह लेने का हक नहीं रहेगा। खतियान पार्ट २ में जो हक स्थानीय किसानों को दिया गया है उससे आप उन्हें वंचित कर रहे हैं। सिर्फ स्थानीय पांच-दस आदमियों को मजदूर रखा गया है और कोई फायदा स्थानीय जनता को नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह

है कि हिंसक जन्तुओं बाघ, आदि हिंसक जन्तुओं को देखने के लिए बम्बई, कलकत्ता तथा विदेशों से लोग आते हैं और देखकर उनको खुशी होती है लेकिन उस नेशनल पार्क के आसपास के ५०-६० गांवों के किसानों को उन जानवरों से जानमाल की भारी क्षति हो रही है। गत सत्र में एक संकल्प मैंने दिया था कि हजारीबाग से नेशनल पार्क को हटाकर सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में ले जाया जाय क्योंकि वहां आसपास आबादी कम है और वहां घना जंगल भी है। यदि आप हजारीबाग में ही नेशनल पार्क रखना चाहते हैं तो उसके लिए समुचित प्रबन्ध करें, नहीं तो वहां के लोग नेशनल पार्क नहीं चाहते हैं। गरीब किसान ३०० रु० से ४०० रु० तक की जोड़ी बैल खरीदता है और यदि हिंसक जन्तु उसे खा जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति भी सरकार को करनी चाहिए। प्रजातंत्र शासन का यह मतलब नहीं है कि बहुमत की सरकार अल्प मत वालों का गला घोंटती रहे। चूंकि हमारे जिले से आपका पैर उखड़ गया है तो उस जिले को आप उपेक्षा की दृष्टि से देखें और उस पर आफत ढाना चाहें तो यह नहीं हो सकता है। विनीत जी ने एक सवाल पूछा था कि सरकार जिलेवार बताये कि कौन जिले में कितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं। इसके पहले हमने भी पूछा था कि इरिगेशन के सम्बन्ध में आप जिलेवार फीगर दें। मैं इन प्रश्नों को फिर दुहराता हूं। शायद आप कहेंगे कि हमारे जिले में टेक्निकल स्कूल्स और कॉलेजेज ज्यादा खोले गए हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले साल उन स्कूल्स और कॉलेजेज में जो लड़के भर्ती हुए हैं उनमें कितने प्रतिशत स्थानीय लड़के हैं? आप शायद कहेंगे कि हमने फ्री कंपीटीशन कर दिया था। क्या उस पिछड़े इलाके की जनता उत्तर बिहार के फौरवार्ड लोगों के साथ कंपीटीशन में आ सकते हैं? अगर ऐसी बात है तो आप क्यों नहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हटाकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए रिक्रूटमेंट करते है? क्या बिहारी लोग मद्रासी और बंगाली के कंपीटीशन में आ सकते हैं? नहीं तो उसी तरह से पिछड़े इलाके के लोग आपके मुकाबले में नहीं आ सकते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पिछड़े इलाके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कौन-सा ठोस कदम उठाया है। अभी लीडर ऑफ दी अपोजीशन ने कहा है कि वहां के लोगों को चपरासी या चौकीदार जैसी साधारण नौकरी भी सहूलियत से नहीं मिलती है। इधर के अधिकारियों की पोस्टिंग जब उधर होती है तो ऑर्डर्ली पिउन तक इधर ही से ले जाते हैं अधिकांश या तो उनके जाति के होते हैं या उनके आसपास के लोग होते हैं। हाल में दारोगा की नियुक्ति जो हुई उसमें कितना पक्षपात हुआ है, आप जानते हैं। क्या हमारे जिले तथा छोटानागपुर के अन्य जिलों से दारोगा के पद के लिए भी योग्यतावाले उम्मीदवार नहीं पाये जाते हैं जो उनकी बहाली नहीं होती है।

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस बार जो दारोगा की बहाली में धांधली हुई है उसपर कौन सी कारंवाई की गई। उपाध्यक्ष महोदय, जबतक रिक्रूटमेंट के लिए रिजनल प्रबन्ध नहीं हो जाता उस इलाके के लोग कभी भी कंपीट नहीं कर सकते हैं। एडुकेशनली, इकोनोमिकली जो भी बैकवर्ड हों सभी लोगों के लिए रिजरवेशन होना चाहिए और यदि रिजरवेशन नहीं होगा तो वे आगे बढ़े हुए लोगों का कभी भी साधारणतः मुकाबिला नहीं कर सकते हैं। यह सोचने की बात है कि जितनी फैसिलिटी समाज में आगे बढ़े हुए लोग जैसे सरकारी नौकरी वाले, एम० एल० ए०, एम० पी० अपने लड़को को देते हैं गांव के लोग अपने लड़के को नहीं दे सकते हैं और जब उनके लड़को को समान सुविधा नहीं मिल पाती तो फिर परीक्षा में मुकाबला कैसे हो सकता है? सो ऐसी परिस्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें सर्वांगीण विकास हो, कुछ सेक्शन के लोगों को आगे बढ़ा

देने से, या कुछ क्षेत्र को विकसित कर देने से राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी ओर राज्यपाल महोदय के भाषण में जरा भी संकेत नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक बैकवर्ड कमीशन काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त की थी। आज उनकी रिपोर्ट कई वर्षों से सरकार दाब कर रखे हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट पर बिहार सरकार ने आजतक कौन-सा कदम उठाया है।

*श्री भोला पासवान--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, यह इंडिया गवर्नमेंट की चीज है। लेकिन माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को यहां उठाया है जो नहीं उठाना चाहिए।

उपाध्यक्ष--हां, आपका यह कहना उचित है।

Shri **RAMCHARITRA SINGH** : Sir, I want to know whether the State Government received any copy of the report or not?

श्री भोला पासवान--यह तो आपका दूसरा क्वेश्चन है। हम अभी नहीं कह सकते हैं कि रिपोर्ट की कॉपी मिली है या नहीं ?

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा--उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बैकवर्ड कमीशन नियुक्त किया था जिसकी रिपोर्ट यहां जरूर आई होगी और यदि नहीं आई तो स्टेट गवर्नमेंट को मांगना चाहिए था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है, रिपोर्ट सभी राज्यों में भेजी गई है लेकिन इनके सामने मजबूरी है इसलिए वे कुछ कह नहीं सकते हैं, वे अपनी मजदूरी को बतलाना नहीं चाहते हैं। उनमें मजबूरी बतलाने की क्षमता होनी चाहिए।

*श्री शकूर अहमद--उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त श्री रामेश्वर प्रसाद महथा इतने सेनसिबुल हैं कि उन्होंने कहा कि तीन मिनट में भाषण हम समाप्त कर देंगे लेकिन अभी तक बोल रहे हैं।

श्री रामजनम ओझा--हुजूर, मेरा एक प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। श्री शकूर अहमद ने अभी कहा है कि इतने सेनसिबुल हैं। इसे प्रोसीडिंग्स से हटा देना चाहिए।

उपाध्यक्ष--अगर रह ही जाय तो क्या हर्ज है ?

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा--उपाध्यक्ष महोदय, जो इलाका पिछड़ा है और पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी विकसित नहीं हो सका है उसके विषय में विकास करने का प्रोग्राम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रहना चाहिए था लेकिन हम देखते हैं कि इसकी कोई चर्चा नहीं है।

सुनने में आ रहा है कि जिलों का पुनर्निर्माण होगा तो मैं चाहता हूं कि ऐसे सार्वजनिक महत्व के काम का प्रस्ताव विधान-सभा में आना चाहिए, उसपर वाद-विवाद

होना चाहिए, माननीय सदस्यों का मत लेना चाहिए फिर तभी ही जिलों का पुनर्गठन होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष—आपका अमेंडमेंट यही है ?

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—अमेंडमेंट के अलावे भी तो हमलोग बोल सकते हैं ?

उपाध्यक्ष—अपने अमेंडमेंट पर बोल कर जल्दी समाप्त करें ।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—राज्य का पुनर्गठन होनेवाला है । लेकिन हमलोगों को इस बात की जानकारी भी न हो, विधान-सभा, जो सौवरेन बडी है उसको जानकारी भी न हो, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है । किसी भी जिम्मेवार सरकार के लिए यह उचित नहीं है । उन्हें चाहिए कि वे उन सारी बातों को विधान-सभा में रखें । हमलोग जनता से चुनकर आए हैं तो जनता को भी नहीं मालूम हो और उसके प्रतिनिधियों को भी नहीं मालूम हो यह अच्छा नहीं है । मैं चाहता हूं कि सरकार पूरा नक्शा असेम्बली के सामने रखे कि किस तरह जिलेवार विकास का काम, शिक्षा का काम, सिंचाई का काम, उद्योग का काम, टेकनिकल इंस्टीच्यूशन्स का काम, स्कूल-कॉलेज का काम हुआ है और क्या योजना है ।

आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे जिले में ऐसे शन्स ऐसे ब्लौक हैं, अंचल हैं जहां एक भी हाई स्कूल नहीं है । सरकार अंचल बनाती है लेकिन वहां एक भी हाई स्कूल नहीं दे सकती है । मैं मानता हूं कि वह पिछड़ा इलाका है लेकिन अगर पिछड़ा हुआ है तो क्या उसे उठाना भी नहीं चाहिए । बरही थाने के वारकट्ठा अंचल में कोई हाई स्कूल नहीं है ।

उपाध्यक्ष—लड़के काफी हों । तब तो स्कूल चलेगा ?

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—लड़के काफी हैं लेकिन वहां के लोग गरीब हैं, वे स्कूल नहीं खोल सकते हैं ।

उपाध्यक्ष—हमारे जिले में सभी स्कूल दूसरे के ही खोले हुए हैं, एक स्कूल केवल सरकार द्वारा खोला गया है ।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—अगर हमारे यहां इधर के लोगों की तरह धनी-मानी होते तो रोना ही किस बात का था । आप जानते हैं वहां के लोगों में स्कूल खोलने की, ५० हजार रुपया जमा करने की, मकान बनाने की क्षमता नहीं है इसलिए वहां की जनता की मजबूरी है । वह एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है ।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बनकट्ठा में कितनी माइल पक्की सड़क है । केवल जी० टी० रोड आठ-दस माइल में है जिसको शेरशाह ने बनवाया था । इसके अलावा एक भी पक्की सड़क नहीं है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पक्की सड़क नहीं है तो कम्युनिकेशन का क्या जरिया है । वहां विकास का क्या काम हो रहा है ।

आप इन बातों का प्रोविजन करें ताकि सचमुच उस एरिया का विकास हो। इसके विकास का ढंग ऐसा है जो ठीक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

. . . .

ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है वह एक खास विषय पर है जो सिंचाई से सम्बन्ध रखता है। लेकिन अफसोस है कि न तो कोई सुनने के मूड में है और न तो चीफ मिनिस्टर हैं और न सिंचाई मंत्री ही हाउस में हैं। कोई भी इस मूड में नहीं हैं जो सुनकर इस पर आगे की कारवाई भी करें। यह बहुत ही बड़ा अहमियत रखने वाला सवाल है। हमारे इलाके के लोगों को बहुत ही दुःख हुआ जब उन लोगों ने सुना कि बागमती स्कीम तृतीय पंचवर्षीय योजना से हटा दी गयी है और वह इसलिए कि बहुत बड़ी-बड़ी स्कीम जिसमें गंडक भी आती है उसको सरकार ने ले लिया है। हम यह नहीं चाहते हैं कि गंडक नहीं लिया जाय। यह भी अहमियत रखता है, यह बहुत बड़ी स्कीम है और उससे लोगों को बहुत फायदा होगा और कई जिलों में पानी पटेगा लेकिन थोड़ा सा दिल में दर्द होता है और वह इसलिये कि बागमती एक प्रौबलेम रीवर है। गंडक से कई जिलों को पानी मिलेगा लेकिन गंडक अपने इलाके के लिये प्रौबलेम रीवर नहीं है जिस तरह से कोशी नदी थी। उसके बाद अगर किसी का नम्बर आता है तो बागमती का आता है। हमारे सिंचाई मंत्री अगर मौजूद रहते तो मैं बता देता आज २० साल पहले उन्होंने बागमती एरिया में लोगों को बहुत बड़ी मदद पहुंचाई थी। मदद उस वक्त पहुंचाई थी जिस वक्त मलेरिया के प्रकोप से लोग तबाह और बरबाद हो गये थे। अगर कोई भी आदमी उस वक्त का होगा तो वह हमेशा वह नजारा सामने रखेगा और सिंचाई मंत्री तो उस एरिया के बसनेवाले ही हैं और उन्होंने बागमती क्षेत्र में रहनेवालों को मलेरिया से बचाया था और पीड़ितों को मदद पहुंचाई थी। आज बहुत अफसोस होता है कि वैसे पुरुष के हाथ में इरीगेशन का काम आया है तो वे बहुत जल्दी भूल गये। बागमती एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनाज की कमी नहीं हो सकती है। यह क्षेत्र बहुत ही उर्वरा है। कम खर्च से उस एरिया में अधिक फसल होगी। इसके अलावे लाखों मन अनाज की क्षति होती है वह नहीं होगी। वहां के रहने वाले हजारों मन अनाज रखने वाले हैं लेकिन उनको हिम्मत नहीं है कि वे पक्का मकान बनावें। साल में छः महीना तो वहां के लोगों को पानी में रहना पड़ता है। इतनी बड़ी तबाही है और वर्षों से इस प्रकार गुजर कर रहे हैं। अपनी सरकार के बनने पर उनको आशा हुई कि अब उनकी हालत अच्छी होगी। १०-१२ साल पहले बागमती स्कीम बनी और १९५४,—५६ में कम्प्लीट स्कीम पूरी हुई २२ करोड़ की। उसकी जांच की गयी और सेन्टर के चीफ इंजीनियर भी उसको देखने के लिये यहां आये और उन्होंने उसमें थोड़ा-सा हेर-फेर करके एप्रूव कर दिया। उसमें कुछ काम भी लगाया गया और डैम बनाकर लोगों को राहत देने का कुछ काम भी हुआ। हमलोगों को उम्मीद थी कि यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में आ जायगा लेकिन यह नहीं हुआ। उस एरिया के लोग समझने लगे हैं कि सरकार उनकी उपेक्षा की नजर से देखती है।

8/2/61

Shri RAMESHWAR PRASAD MAHTHA : Sir, there is no quorum.

(५ मिनट घंटी बजी : कोरम हुआ ।)

ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह—उस मिनिस्ट्री में छ: मेम्बर गंडक एरिया के थे इसलिये उन्होने बागमती स्कीम को अलग रख दिया और गंडक स्कीम को हाथ में लिया। अगर वे खुले दिमाग से और इंसाफ के साथ काम करते तो दोनों एरिया का काम एक साथ चल सकता था। अगर सरकार समझती है कि वहां के लोग मनुष्य नहीं हैं, भेड़ और बकरी हैं तो वे लोग भी सरकार को सहयोग नहीं दे सकते हैं। उस एरिया में करीब एक करोड़ लोग बसते हैं और वहां से सरकार को बहुत अधिक मालगुजारी मिलती है। इसलिये सरकार को उस एरिया की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

बागमती एक प्रौब्लेम रीवर है, जिसकी वजह से लोग बहुत तबाह हो गये हैं। जिस नदी से इतना फायदा होता है और हो सकता है और जिसके न करने से इतनी तबाही और बर्बादी होती चली आ रही है कि हर साल रिलीफ का इंतजाम करना पड़ता है, कहीं सुखाड़ हो जाता है तो कहीं दहाड़ हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि लाखों-करोड़ों रुपये आप रिलीफ में खर्च कर देते हैं। उन रुपयों को ही अगर एक बार उस नदी स्कीम में लगा दें तो हम समझते हैं कि इस बिहार प्रांत में ही क्या बहुत दूर तक अनाज की कमी नहीं रह जाती लेकिन अफसोस है कि जिस तरह से स्टेप-मदर्ली ट्रीटमेंट यह सरकार उस स्कीम और वहां के रहने वालों के प्रति दिखला रही है, इससे वहां के लोग बहुत तबाह हैं और हम उम्मीद करते है कि अगर सरकार मुनासिब कारंवाई जल्द-से-जल्द करने को तैयार नहीं होगी तो वहां की जनता में एक असंतोष फैलेगा और उस असंतोष को रोकना इनके लिये मुश्किल हो जायेगा। मैं समझता हूं कि गंडक स्कीम पर अरबों का खर्च है, बहुत बड़े पैमाने पर गंडक स्कीम चालू की गई है और उसको तैयार करने में भी बरसों लग जायेगा तो क्या उस क्षेत्र के लोगों को यह समझ कर बैठ जाना होगा कि जब-तक गंडक स्कीम पूरी नहीं होती तब तक बागमती की तरफ सरकार ध्यान नहीं उठायेगी, अगर इस तरह की बात है तो आखिर जो मरता है वह क्या नहीं कर सकता है। वहां के लोग तबाह और बर्बाद होते जा रहे हैं। अगर आप उनके लिये उपाय नहीं करेंगे तो लोगों को अपनी ओर से कुछ करना पड़ेगा जिसको आपके लिये संभालना मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं इस सरकार को एक वार्निंग देना चाता हूं कि अगर आप सचमुच में इंसाफ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बागमती क्षेत्र शांति से रहे तो उसकी मांग को पूरा करें। उस क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी मांग यही है कि बागमती स्कीम जल्द-से-जल्द शुरू की जाय। अगर आप पूरी तरह न ले सकें तो कुछ ऐसे काम लेवें और फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्दर उसको निकालें नहीं रास्ता का कोइ रखने तो कुछ-न-कुछ उस इलाके को स्वयं करना पड़ेगा। इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हू।

श्री इगनेस कुजूर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसपर बोलने के आरंभ लेवें और पहले एक अपना पर्सनल एक्सप्लाशन देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय ने यह एलान किया था कि सिर्फ पार्टी के लोगों का एक सम्मिलित संशोधन राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के प्रस्ताव पर आना चाहिये। तो मैं यहां पर कहना

चाहता हूँ कि मैंने झारखंड पार्टी से अपना सम्बन्ध हटा लिया है हांला कि मैं झारखंड उद्देश्य का अनुयायी हूँ लेकिन इस पार्टी से स्वतंत्र हूँ। मैंने यह एक्सप्लानेशन इसलिये दे दिया कि आगे यह काम आवे।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन भी किये गये और उसमें क्या-क्या त्रुटियां हैं उनको भी यहां पर कहा गया है। राज्यपाल के अभिभाषण में हमारा राज्य किस तरह से चलेगा और सरकार की नीति क्या रहेगी उसी को बतलाया गया है। राज्यपाल महोदय ने शुरू में ही कहा कि कुछ संकट काल से यह राज्य गुजर रहा है और इस राज्य के बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेटर इस राज्य को छोड़ कर चले जा रहे हैं और उन्हीं ने इसी के सिलसिले में जरूर कहा कि सरकारी काम तो चलाना ही होगा, रुकेंगे नहीं लेकिन शायद यह भी कह देना अच्छा होगा किसको उन्होंने नहीं कहा कि यह सरकार अब लड़ती-झगड़ती ही चलेगी। यह सरकार गद्दी के लिये लड़ती-झगड़ती चलेगी।

उपाध्यक्ष---लड़ने-झगड़ने की बात न कहें, आप अभिभाषण के सम्बन्ध में बोलिये।

श्री इगनेस कुजूर---खैर इस विषय पर मैं नहीं बोलता हूँ। आप जानते हैं कि संविधान में आदिवासियों के लिये बहुत-सी बातें की गई, बहुत-सी चीजें सुरक्षित रखी गई हैं और हमें पिछड़ा समझ कर और यह समझकर कि इनको बहुत दिनों से नेगलेक्टेड रखा गया है, इसके लिये बहुत-से कायदे हमारे संविधान में भी है जिससे हमें राज्य के दूसरे लोगों के समकक्ष लाया जा सके। उसी हिसाब से हमारे राज्य में काम हो रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल अब समाप्त हो रहा है और तृतीय पंचवर्षीय योजना प्लान की शुरुआत होने वाली है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये आपने आदिवासियों के लिये वेलफेयर तथा शिड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड ट्राइब्स के लिये आपने ५ करोड़ ५३ लाख रु० एलोकेट किया था और १९६० तक आपका खर्च ४ करोड़ ३० लाख ही रहा और एक करोड़ १० लाख आपका जो एलोकेटेड एमाउन्ट था वह लैप्स हो गया। अब आप तृतीय पंचवर्षीय योजना चालू करने जा रहे हैं, इसमें आपने हमारे लिए ७ करोड़ २८ लाख एलोकेट किया है।

इस साल के लिए एलोकेशन हुआ है एक करोड़ दो लाख। इस एलोकेशन पर हम चल रहे हैं। मैं आपको जो फीगर्स दे रहा हूँ वह शिड्यूल ट्राइब्स और शिड्यूल कास्ट के शिक्षा पर, उनके वेलफेयर पर, उनके सामाजिक उत्थान पर जो खर्च होता है उसके अलावे है। आप बहुत-सी बातें करते जा रहे हैं लेकिन उससे आदिवासियों का उत्थान क्यों नहीं हो पाता है? आप रुपया खर्च करते जा रहे हैं लेकिन उनका उत्थान नहीं हो पाता है। आप आदिवासियों को राज्य के जो दूसरे लोगों की तरह बनाना चाहते हैं लेकिन वे क्यों नहीं बन पाते? आपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय कहा था कि इसकी सफलता की कुंजी है जन-सहयोग। लेकिन आपने जन-सहयोग लेने की कोशिश नहीं की है। आपने छोटानागपुर के लोगों से जनसहयोग लेने की ओर कदम नहीं उठाया। आपने स्कीम चालू करने के लिए जितनी योजनायें बनायी, उसके लिये जितने अफसर भेजे, क्या वे आदिवासियों का उत्थान कर सके? इसका मुख्य कारण यह है

कि ये अफसर जो वहां गये हैं वे आदिवासियों के रहन-सहन, बोलचाल से बिलकुल ही परिचित नहीं हैं। यहां तक कि उनकी सहानुभूति नहीं है। अंचल बनने के पहले वहां सिर्फ दारोगा ही रहता था लेकिन आज अंचल होने की वजह से तरह-तरह के अफसर वहां चले गये हैं लेकिन उनका भी व्यवहार आदिवासियों के प्रति दारोगा ही जैसा हो रहा है। मैं यहां तक समझता हूँ कि आपकी नीति भी आदिवासियों के प्रति ठीक नहीं है।

सभा बृहस्पतिवार, तिथि ९ फरवरी १९६१ के ११ बजे दिन तक स्थगित की की गई।

एनायतुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना।
तिथि ८ फरवरी १९६१।